

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2025—ज्येष्ठ 16, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2025

क्र. ई-1-210-2024-5-एक.—श्री रामप्रताप सिंह जादौन, भाप्रसे (2010), अपर आयुक्त (राजस्व), नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 1 मई 2025

क्र. ई-5-887-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, (2010), वि.क.अ.-सह-आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री धनराजू एस. भाप्रसे, (2009), आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(2) श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, (2010), वि.क.अ.-सह-आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री धनराजू एस. भाप्रसे, (2009), आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.-सह-आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

3001

(4) श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, द्वारा वि.क.अ.-सह-आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस. भाप्रसे. को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(7) यदि श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा।

क्र. ई-5-888-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, (2010), आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल का दिनांक 5 से 20 जून 2025 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 21, 22 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए, उक्त अवधि में से दिनांक 6 से 18 जून 2025 तक, तेरह दिवस हेतु एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, (2010), आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनुराग वर्मा, भाप्रसे, (2012), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुराग वर्मा, भाप्रसे को उन्हें सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(7) यदि श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा।

भोपाल, दिनांक 5 मई 2025

क्र. ई-5-1218-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती मलिका निगम नागर, भाप्रसे, (2018), उपसचिव / संचालक (अराजपत्रित), संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल का दिनांक 30 मई से 25 जून 2025 तक, सत्ताइस दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 29 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए, उन्हें उक्त अवधि में से दिनांक 9 से 22 जून 2025 तक, चौदह दिवस हेतु एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मलिका निगम नागर, भाप्रसे, उपसचिव / संचालक (अराजपत्रित), संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उपसचिव/संचालक (अराजपत्रित), संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मलिका निगम नागर, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मलिका निगम नागर, भाप्रसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 6 मई 2025

क्र. ई-5-1155-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विवेक श्रोत्रिय, भाप्रसे (2012), कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 5 से 16 मई 2025 तक, बारह दिवस का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री विवेक श्रोत्रिय, भाप्रसे (2012), कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री तपस्या परिहार, भाप्रसे, (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक श्रोत्रिय, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विवेक श्रोत्रिय, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री तपस्या परिहार, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक श्रोत्रिय, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक श्रोत्रिय, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(7) यदि श्री विवेक श्रोत्रिय, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा।

भोपाल, दिनांक 9 मई 2025

क्र. ई-1-75-2025-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री धनंजय सिंह भदौरिया (2006), आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर.
2.	श्री संकेत एस. भोंडवे (2007), पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.

(2) श्रीमती मीनाक्षी सिंह, भाप्रसे (2013), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) उपरोक्तानुसार श्री संकेत एस. भोंडवे द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सिबि चक्रवर्ती एम. भाप्रसे (2008), सचिव, मुख्यमंत्री तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को केवल आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 14 मई 2025

क्र. ई-5-612-आयएएस-लीव-5-एक-2025.—(1) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 19 से 30 मई 2025 तक, बारह दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 17, 18 मई 2025 एवं 31 मई 1 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 17 मई से 1 जून 2025 तक, सोलह दिवस हेतु एक्स इंडिया अर्जित अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे, द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(7) यदि श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत् अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापन पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा।

क्र. ई-5-868-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे (2009) आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 19 मई से 2 जून 2025 तक, पन्द्रह दिवस का संतान पालन अवकाश (दिनांक 17, 18 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे (2009) आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती निधि निवेदिता, भाप्रसे (2012) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन, पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन, पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती निधि निवेदिता, भाप्रसे, को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

(7) यदि श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होतीं हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत् अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा।

क्र. ई-5-1189-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे (2015), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इंदौर का दिनांक 9 जून से 1 जुलाई 2025 तक, तेईस दिवस का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 7, 8 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इंदौर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती प्रीति जैन, भाप्रसे (2011), संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इंदौर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रीति जैन, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

(7) यदि श्रीमती राखी सहाय, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होतीं हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत् अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत् अधिकारी को सौंपा जावेगा।

भोपाल, दिनांक 15 मई 2025

क्र. ई-5-1020-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे (2015) कलेक्टर, जिला मंदसौर का दिनांक 19 से 30 मई 2025 तक, बारह दिवस का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 17, 18 एवं 31 मई, 1 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 17 मई से 1 जून 2025 तक, सोलह दिवस हेतु एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे (2015), कलेक्टर, जिला मंदसौर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अमन वैष्णव, भाप्रसे (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला मंदसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमन वैष्णव, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जारी तो अपने पद पर कार्य करती रहती।

(7) यदि श्रीमती अदिति गर्ग, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 26 मई 2025

क्र. GAD-6-0002-2025-GAD-एक-01(GAD).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री प्रेम नरायण सिंह, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्डैर को डी. आर.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक B-2643 (दो-1-10-2024), दिनांक 9 मई 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 28 अप्रैल से 1 मई 2025 तक चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0020-2025-GAD-एक-01 (GAD).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री अनिल वर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को डी. आर.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-2641 (दो-1-12-2022), दिनांक 9 मई 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 अप्रैल 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0021-2025-GAD-एक-01(GAD).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री एस. ए. धर्माधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी. आर.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-3075 (दो-1-17-2016), दिनांक 25 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 3 से 5 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0021-2025-GAD-एक-01(GAD).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री एस. ए. धर्माधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी. आर.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-1998 (दो-1-17-2016), दिनांक 25 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 7 से 9 अप्रैल 2025 तक, तीन

दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 14 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0021-2025-GAD-एक-01(GAD).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री एस. ए. धर्माधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी. आर.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-3073 (दो-1-17-2016), दिनांक 25 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0022-2025-GAD-एक-01(GAD).—माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, श्री सुरेश कुमार कैत, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी. आर.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक B-2624 (दो-1-21-24), दिनांक 9 मई 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 22 से 26 नवम्बर 2024 तक की अवधि में एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक-एफ क्र-31011-4-2008-Estt(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह छठवां अवसर है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव।

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2025

क्र. 574-0009-2025-बीस-2.—भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2021 के परिपालन में Write Petition (C) No. 136/2017 एवं क्रमांक-874/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित प्रावधानों के अनुरूप, शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही निर्धारित करने के लिए विकसित स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर “Guidelines on School Safety & Security” के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश अधिसूचित किया जाता है।

अतः, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन अँस स्कूल सेफ्टी एण्ड सिक्योरिटी में अंकित निर्देशानुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उपसचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जून 2025

क्र. 861-2651338-2025-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, साधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी 2025 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [किशोर न्याय नियम, 2022 (नियम, 2016) का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा 10 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित किया गया था।

दमोह जिले में किशोर न्याय बोर्ड के 01 सदस्य, सुश्री विभा पुरोहित द्वारा त्याग-पत्र देने के कारण उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से वरिष्ठता क्रम के आधार पर श्रीमती प्रेक्षा पाठक को किशोर न्याय बोर्ड, दमोह में सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए पदांकित करता है।

भोपाल, दिनांक 5 जून 2025

क्र. 875-0300-2025-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सीहोर	सीहोर	श्रीमती उजाला शुक्ला, JMFC
2.	खंडवा	खंडवा	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, JMFC
3.	अनूपपुर	अनूपपुर	सुश्री सुधा पाण्डेय, JMFC
4.	शहडोल	शहडोल	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल, JMFC
5.	मंडला	मंडला	डॉ. स्वाति चौहान, JMFC
6.	डिंडोरी	डिंडोरी	श्री रामप्रसाद सिंह, JMFC
7.	सिंगरौली	सिंगरौली	सुश्री रूपा मिश्रा, JMFC
8.	सीधी	सीधी	सुश्री सुनिता रावत, JMFC
9.	बैतूल	बैतूल	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन, JMFC
10.	पन्ना	पन्ना	सुश्री इकरा मिहाज, JMFC
11.	दतिया	दतिया	श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, JMFC
12.	अशोकनगर	अशोकनगर	सुश्री सोनल गुप्ता, JMFC
13.	रतलाम	रतलाम	सुश्री मुग्धा कुमार, JMFC
14.	उज्जैन	उज्जैन	श्रीमती कोमल अंजना सिंह, JMFC
15.	नीमच	नीमच	सुश्री अंकिता गुप्ता, JMFC
16.	झाबुआ	झाबुआ	श्रीमती सरोज बाला मुजालदा, JMFC
17.	बड़वानी	बड़वानी	श्री महेन्द्र सिंह रावत, JMFC
18.	टीकमगढ़	टीकमगढ़	श्रीमती नूतन रावते, JMFC
19.	शाजापुर	शाजापुर	सुश्री अनुष्का शर्मा, JMFC
20.	मुरैना	मुरैना	सुश्री देशना जैन, JMFC

No. 875-0300-2025-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in Column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the Column (2) of the Schedule below for the District as specified in Column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sehore	Sehore	Smt. Ujala Shukla, JMFC
2.	Khandwa	Khandwa	Smt. Jyoti Singh Tekam, JMFC
3.	Anuppur	Anuppur	Sushri Sudha Pandey, JMFC
4.	Shahdol	Shahdol	Smt. Preeti Singh Baghel, JMFC
5.	Mandla	Mandla	Dr. Swati Chouhan, JMFC
6.	Dindori	Dindori	Shri Ramprasad Singh, JMFC
7.	Singrauli	Singrauli	Sushri Rupa Mishra, JMFC
8.	Sidhi	Sidhi	Sushri Sunita Rawat, JMFC
9.	Betul	Betul	Smt. Sanghpriya Bhadrasen, JMFC
10.	Panna	Panna	Sushri Iqra Minhaj, JMFC
11.	Datia	Datia	Smt. Sandhya Devesh Mishra, JMFC
12.	Ashoknagar	Ashoknagar	Sushri Sonal Gupta, JMFC
13.	Ratlam	Ratlam	Sushri Mugdha Kumar, JMFC
14.	Ujjain	Ujjain	Smt. Komal Anjna Singh, JMFC
15.	Neemuch	Neemuch	Sushri Ankita Gupta, JMFC
16.	Jhabua	Jhabua	Smt. Saroj Bala Mujalda, JMFC
17.	Badwani	Badwani	Shri Mahendra Singh Rawat, JMFC
18.	Tikamgarh	Tikamgarh	Smt. Nutan Rawte, JMFC
19.	Shajapur	Shajapur	Sushri Anushka Sharma, JMFC
20.	Morena	Morena	Sushri Deshna Jain, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 26 मई 2025

प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष 2025-26.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	मझगाँय	निजी भूमि रकबा 3.196 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.113 है. कुल रकबा 3.309 है.	उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु (पूरक / छूटे हुए रकबों का प्रस्ताव).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 11-अ-82-वर्ष 2025-26.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सब्डुआ	निजी भूमि रकबा 3.739 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.073 है. कुल रकबा 3.812 है.	उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु (पूरक / छूटे हुए रकबों का प्रस्ताव).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 12-अ-82-वर्ष 2025-26.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			(1)	(2)	(3)	(4)
पन्ना	अजयगढ़	गडपुर	निजी भूमि रकबा 1.350 है। एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है। कुल रकबा 1.350 है।	लगभग क्षेत्रफल (है. में)	उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो।	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2025-26.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			(1)	(2)	(3)	(4)
पन्ना	अजयगढ़	भापतपुर कुर्मियान	निजी भूमि रकबा 0.955 है। एवं शासकीय भूमि रकबा 0.138 है। कुल रकबा 1.093 है।	लगभग क्षेत्रफल (है. में)	उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो।	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (पूरक / छूटे हुए रकबों का प्रस्ताव)।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 0023-अ-82-वर्ष 2024-25.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

(क) जिला	—	पन्ना
(ख) तहसील	—	अजयगढ़
(ग) ग्राम	—	डुंगरहो, प. ह. नं. 011
(घ) क्षेत्रफल	—	225.95 वर्गमीटर.

क्रमांक	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्र / प्रभावित (वर्ग मी.) रकवा / मकान धारक	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रभू पिता लक्ष्मन	221	शिवप्रसाद पिता देवीदीन यादव, मकान अर्ध पक्का (सीमेंट सीट) 18.50×7.50 =138.75 वर्ग मीटर	निजी भूमि
2	प्रभू पिता लक्ष्मन	221	रज्जू पिता हरीराम यादव, मकान अर्ध पक्का (खफरेल) 9.20×4.00=36.80 वर्गमीटर	निजी भूमि
3	गयाप्रसाद पिता राजाभइया यादव निवासी डुंगरहो, जगतप्रसाद पिता राजाभइया निवासी डुंगरहो.	220/1	जगतप्रसाद पिता राजा भैया, मकान अर्ध पक्का ((सीमेंट सीट) 7.20×7.00=50.40 वर्गमीटर.	निजी भूमि
कुल रकवा . .			225.95 वर्गमीटर	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक / छूटे हुये रकवों का पूरक प्रस्ताव) हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन ग्रामीण, दिनांक 2 मई 2025

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र. 923-री-1-भू-अ.-2025-प्र. क्र. 0002-अ-82-25-26.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम चंदेसरा, प.ह.नं.087, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का नम्बर	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	चंदेसरा / 087	260 / 1	0.014
			260 / 2	0.011
			261 / 1	0.018
			261 / 2	0.020
			266	0.015
			265	0.038
			398	0.037
			264	0.009
			375	0.036
			342 / 3 / 1	0.004
			342 / 3 / 2	0.007
			342 / 3 / 5	0.027
			343 / 5	0.008
			342 / 3 / 3	0.016
			342 / 3 / 4	0.015
			374	0.004
			377 / 1	0.020
			392	0.005
			405	0.022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	चंदेसरा / 087	377 / 2 393 395 / 2 396 397	0.006 0.006 0.024 0.028 0.044
			योग . .	0.434

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र. 922-री-1-भू-अ.-2025-प्र. क्र. 0001-आ-82-25-26.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम दताना, प.ह.नं. 88, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का नम्बर	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	दताना/ 88	377 / 2 381 387 410 / 4 416 418 438 612 / 1 444 446 / 2 / 1 / 1 456 / 1 / 2 446 / 2 / 1 / 3 / 1 451 456 / 2	0.070 0.097 0.079 0.124 0.078 0.045 0.076 0.010 0.075 0.029 0.006 0.060 0.009 0.052

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	दताना / 88	489	0.023
			494 / 1	0.058
			492	0.052
			493 / 1	0.054
			493 / 2	0.016
			496	0.067
			497	0.023
			498	0.041
			499	0.016
			612 / 2	0.070
			614	0.048
			615	0.060
			625 / 1	0.042
			625 / 2	0.017
			625 / 3	0.020
			योग . .	1.417

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र. 921—री—1—भू—अ.—2025—प्र. क्रं. 0003—अ—82—25—26.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी—सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम चंदेसरी, प.ह.नं. 86, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का नम्बर	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
उज्जैन	उज्जैन	चंदेसरी / 086	200 / 1 201 / 2	0.026 0.014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	चंदेसरी / 086		
		202	0.018	
		207 / 2	0.003	
		263 / 1	0.010	
		263 / 2	0.016	
		208	0.011	
		209	0.034	
		212	0.018	
		257 / 1	0.004	
		211	0.080	
		264	0.042	
		265 / 1 / 2	0.022	
		265 / 2	0.015	
		265 / 3 / 2	0.008	
		265 / 3 / 1	0.017	
		267 / 1	0.018	
		267 / 2	0.016	
		267 / 3	0.005	
		315	0.024	
		316	0.008	
		324	0.014	
		341 / 3	0.035	
		342 / 2	0.041	
		358 / 1	0.005	
		346 / 1	0.030	
		346 / 2	0.020	
		349	0.010	
		357 / 1 / 2	0.040	
		358 / 3	0.005	
		362	0.005	
		363 / 1	0.006	
		368 / 4	0.024	
		369 / 1	0.005	
		370 / 1	0.013	
		385 / 1	0.010	
		373 / 2	0.019	
		374 / 1	0.030	
		380	0.010	
		381 / 5	0.005	
		381 / 4	0.005	
		योग	0.741	

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र. 920-री-1-भू-अ.-2025-प्र. क्र. 0004-अ-82-25-26.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम कल्याणपुरा, प.ह.नं. 89, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का नम्बर	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	कल्याणपुरा/89	227/1	0.009
			228/2/1	0.053
			228/3	0.011
			228/1	0.006
			228/2/2	0.018
			231	0.029
			232/1	0.046
			232/2	0.034
			234	0.034
			243	0.050
			244/1	0.026
			245/342	0.031
			247/3	0.058
			269	0.013
			247/2/1	0.017
			258	0.043
			257/1	0.056
			260/1	0.090
			266	0.074
			267	0.018
			280	0.045
			योग	0.761

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र. 918-री-1-भू-अ.-2025-प्र. क्र. 0005-अ-82-25-26.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम खजुरिया रेहवारी, प.ह.नं. 89, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	खजुरिया रेहवारी/89	694	0.012
			777/1	0.024
			777/2	0.028
			695/2	0.058
			778	0.006
			779	0.050
			786	0.072
			787	0.050
			790	0.012
			791/1	0.036
			792/2	0.006
			855/2/1	0.015
			791/2	0.006
			792/1	0.036
			855/1	0.010
			853	0.060
			855/2/2	0.015
			854	0.060
			946	0.022
			857	0.007
			858/1	0.100
			947	0.070
			948/1	0.030
			948/2	0.017

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	खजुरिया रेहवारी / 89	949	0.012
		950 / 1 / 1		0.006
		958 / 2 / 1 / 2		0.015
		950 / 2		0.018
		958 / 2 / 2		0.012
		951		0.016
		957		0.029
		958 / 1		0.040
		योग		0.950

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र. 919—री—1—भू—अ.—2025—प्र. क्र. 0006—अ—82—25—26.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी—सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम मतानाकला, प.ह.नं. 53, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य, कायपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का नं.	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	मतानाकला / 53	242	0.004
		244		0.026
		243 / 1		0.030
		247 / 2		0.019
		249		0.110
		254		0.046
		255		0.004
		269 / 1		0.031
		278		0.015
		279 / 1		0.060
		280 / 2		0.005
		280 / 3		0.054
		307 / 1		0.064

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	मतानाकला / 53	307 / 2	0.036
			342 / 2	0.020
			350 / 2	0.010
			342 / 3	0.038
			349 / 2 / 1	0.013
			349 / 2 / 2	0.014
			350 / 1	0.029
			351	0.010
			359	0.083
			360	0.038
			436 / 1	0.010
			436 / 2	0.050
			646 / 1	0.018
			646 / 2	0.008
			656	0.005
		योग . . .	0.850	

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 15 मई 2025**

क्र. 35—भू—अर्जन—25—26.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अंकसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची में खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने संभावना है। अतः भू—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रकार और पारदारिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	नारायणगंज	कुण्डा—32	3.39	चुटका परमाणु विद्युत परियोजना	परमाणु संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु
			योग—3.39		

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट WWW.MANDLA.NIC.IN व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट WWW.MPREVENUE.NIC.IN पर भी देखी जा सकती है।
3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवास या तहसील कार्यालय, नारायणगंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोमेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-7-भू-अर्जन-प्र.क्र.01-अ-82-2024-25

जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, , मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 / 11 / 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार जबलपुर जिला अंतर्गत जबलपुर से लम्हेटी मार्ग पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय झूला पुल निर्माण हेतु ग्राम लम्हेटी तहसील जबलपुर जिला जबलपुर पहन - 26 रा.नि.म. जबलपुर -2 में पुल निर्माण की सीमा में आंशिक रूप से प्रभावित कृषकों से भूमि क्रय की जा रही है, झूला पुल निर्माण से प्रभावित कृषकों की भूमि / संपत्ति की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	हितग्राही का नाम	खसरा न.	कुल रकवा	अर्जित रकवा
01	श्री प्रशांत कुमार पिता रामकृष्ण	32/3	0.3000 हेक्ट.	0.0873 हेक्ट.
02	श्री निशांत कुमार उर्फ छोटू ना . वा. रामनाथ संरक्षक रविशंकर पिता कमल प्रसाद	32/2	2.8100 हेक्ट.	0.0721 हेक्ट.
	कुल योग	02	3.11 हेक्ट.	0.1594 हेक्ट.

क्र.-6-भू-अर्जन-प्र.क्र.01-अ-82-2024-25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, , मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 / 11 / 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार जबलपुर जिला अंतर्गत जबलपुर से लम्हेटी मार्ग पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय झूला पुल निर्माण हेतु ग्राम लम्हेटा तह. गोरखपुर जिला जबलपुर प.ह..न 12 रा.नि.म. भेड़ाघाट में पुल निर्माण की सीमा में आंशिक रूप से प्रभावित कृषकों से भूमि क्रय की जा रही है, झूला पुल निर्माण से प्रभावित कृषकों की भूमि / संपत्ति की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	हितग्राही का नाम	खसरा न.	कुल रकवा	अर्जित रकवा
01	श्री हरमोहन शर्मा पिता हरगोविंद शर्मा	166/2	0.0200 हेक्ट.	0.0050 हेक्ट.
02	श्री देवदत पिता रामप्यारे शुक्ला	184/1	0.2478 हेक्ट.	0.0765 हेक्ट.
	कुल योग	02	0.2678 हेक्ट.	0.0815 हेक्ट.

प्र.क्र.-0003-अ-82-2024-25-भू-अर्जन-9125

जबलपुर, दिनांक 15 मई 2025

चूंकि म.प्र.शासन रांजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सावेजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधीसंस्थानों के लिए समय समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति की अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर की परियोजना जबलपुर जिले के अंतर्गत जबलपुर मानिकपुर सेक्षण के रेलवे कि.मी. 1004/2-3 में लेवल क्रासिंग क्रं 323 में आर.ओ.टी. निर्माण हेतु ग्राम लमती तहसील पनागर अनुभाग जबलपुर में प्रभावित निजि भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी, भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जायेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जायेगा।

अनुसूची// अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण //

जिला - जबलपुर अनुभाग-जबलपुर तहसील - पनागर ग्राम - लमती पटवारी हल्का नं.-19 क्षेत्रफल -1.4240 हेक्टर(14240 वर्ग मी.)

क्रमांक	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्ट में	अन्य सम्पत्ति/ संरचना
1	विमलाबाई पति छोटेलाल	9/3	0.1050	0.0200	
2	राजकुमार पिता मिहामल कुकरेजा	9/5/1	0.0505	0.0300	
3	कृष्ण कुमार पिता मधुराप्रसाद गौतम	12/1	0.4020	0.0850	
4	नीलम साहू पति मनोज साहू	12/2/2	0.0056	0.0045	
5	श्रीमती वंदना उपाध्याय पिता स्वमयुराप्रसाद गौतम.श्री.,	12/2/1/1	0.3908 +0.0056	0.0035	
6	अनिल कुमार गौतम पिता स्वमयुराप्रसाद.	12/2/1/2	0.3964	0.0315	
7	कृष्ण कुमार, आनन्द कुमार, अनिल कुमार अजय कुमार, प्रमोद कुमार, राज कुमार, कमल कुमार, प्रदीप कुमार, अंजना वंदना पिता स्वमयुराप्रसाद गौतम	17	0.6000	0.2040	
8	आशु अंकित आकांक्षा पिता स्वसत्य प्रकाश पटेल	79	0.6440	0.2770	
9	ज्ञामसिंह पिता खुशाल सिंह लखेरा	177/1	0.3760	0.1450	
10	केशलाल पिता मूल चंद जाति, मनोज कुमार लोधी पिता केशलाललोधी	180	0.1820	0.0400	
11	दीपक लोधी पिता कैलाश सिंह लोधी	177/2	0.4660	0.2000	
12	विजय,अजय वलद हूम्मा कौशल्या वाई वैवा हूम्मा	176	1.2670	0.0600	
13	पानवाई पति स्वहुकुमचंद पटेल व अजय मनोजमोहनलाल पिता स्वहुकुमचंद पटेल .	170/1/2/ 1/1	0.0743	0.0190	
14	पानवाई पति स्वहुकुमचंद पटेल व अजय . पटेल हुकुमचंद .मनोज मोहनलाल पिता स्व	170/1/2/ 1/2	0.085	0.0210	

15	पानबाई पति स्वहुकुमचंद पटेल व अजय . हुकुमचंद पटेल .मनोज मोहनलाल पिता स्व	170/1/2/ 2	0.0557	0.0140	
16	लेख राम पिता छोटे लाल यादव	174/1	0.0160	0.0110	
17	प्रियंका सिंह पति मुरारी सिंह	174/2/1	0.0200	0.0100	
18	मिथला व्यास वेबा स्वगोपाल व्यास वल्ड . चिन्मय पाखी,पलकं नपिता गोपाल .बा. व्यास वाली मा	170/2	0.2750	0.0700	
19	गणेश प्रसाद अशोक कुमार पिता बसोरे लाल	170/3	0.2750	0.0700	
20	आशीष मिश्रा पिता चन्द्र शेखर मिश्रा	170/4	0.2790	0.0200	
21	मुन्नी बाई वल्ड महेश प्रसाद	172/2	0.728	0.0450	
22	रीना यादव पति घनश्याम यादव	175/1	0.0186	0.0100	
23	नितिन पिता विपिन कुमार,वासु पिता विपिन कुमार,विपिन कुमार पिता सुदामा प्रसाद	115	0.5020	0.0300	
24	सुरेश लोधी पिता बाबूलाल लोधी	9/6	0.0930	0.0030	
	24 खातेदार		6.9160 हे. (69160रुपा मी)	1.4240 हे. (14240रुपा मी)	

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट WWW.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाइट WWW.mprevenu..nic.in पर भी देख सकता है।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (अनुभाग-जबलपुर) तहसील-पनागर, जिला-जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-791—भू—अर्जन—2025

सतना, दिनांक 29 अप्रैल 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील— रघुराजनगर
- (ग) नगर / ग्राम — बरदावीह
- (घ) क्षेत्रफल— 0.08470 हेक्टेक्टर

क्र०	भूमिस्थानी का नाम	खसरा नंबर	आर्जित रकवा (हेक्टेक्टर में)
1	लालप्रभाद सिंह पिता लाल चौरेन्द्र सिंह	189/2/2	0.0017
2	प्रदीप सिंह पिता लाल चौरेन्द्र प्रताप सिंह	189/1/2	0.0017
3	श्रीमती शशी सिंह पुत्री लाल चौरेन्द्र सिंह	189/3/2	0.0017
4	जनादन कैलाश सोनी पिता रामदास सोनी	196/2	0.0027
5	राजनारायण पिता कौशल किशोर चतुर्वेदी	197	0.0051
6	श्रीमती फूलमती पल्ली अमरनाथ, अनिल कुमार	177/1/1	0.0038
7	कैलाशनाथ पिता विशेषर प्रसाद वर्मा	177/2/2	0.0038
8	केदारनाथ पिता विशेषर प्रसाद वर्मा	177/3/2	0.0039
9	वैद नारायण, ओकार नारायण पिता मुन्नालाल चतुर्वेदी	121/1/5/1	0.0041
10	अचारीलाल पिता सुन्दरलाल चतुर्वेदी	121/1/2/1	0.0041
11	शंकरलाल पिता सुन्दरलाल चतुर्वेदी	121/1/4/2	0.0019
12	नारायण पिता सुन्दरलाल चतुर्वेदी	121/1/3/2	0.0022
13	रामनरेश पिता सुन्दरलाल चतुर्वेदी	121/2	0.0019
14	सुशराज सिंह पिता रामदुलारे सिंह	122/9	0.0010
15	ओमती पूर्ण सिंह पल्ली कमलेश सिंह	122/6/2	0.0020
16	सुशराज सिंह पिता रामदुलारे सिंह	122/1/1	0.0010
17	श्रीमती विमला सिंह पल्ली नंदकिशोर सिंह	122/7/2	0.0010
18	उगाशकर पिता रामदुलारे सिंह	122/8/2	0.0051
19	रामवती सिंह पिता रामप्रकाश सिंह	122/5/2	0.0048
20	ओकार प्रसाद अखिलेश कुमार पिता काशी प्रराद तिथरी	174/2	0.0036
21	आनंद मोहन पिता रामधार ज्योतिशी	176/1/2	0.0036
22	साधिलिया, घाँट तनय सुखदेव गुप्ता	176/3/1	0.0016
23	राजेन्द्र पिता हीरालाल गुप्ता	176/3/2	0.0016
24	संदीप कुमार शिवहरे पिता अयोध्या प्रसाद शिवहरे	176/2	0.0028
25	मनोज पिता सत्यदेव दुबे	198/2/2	0.0041
26	राजेन्द्र, सुर्धीर, प्रभात पिता हीरालाल गुप्ता	198/1	0.0021
27	नारेन्द्र प्रताप सिंह पिता दिविजय सिंह	201/2/2	0.0037
28	कमलेश पिता राजधर गिशा	195/2	0.0081
	योग	कुल 28 किता	0.0847

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण समाग्र रीवा (म०३०) द्वारा सतना शहर में गुरितपारगंज लेवल कासिंग 387 किमी 1180/9-11 में इटारसी मानिकपुर रेल लाइन में रेल्वे ओवर ग्रिज के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नवरो (लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-866—भू—अर्जन—2025

सतना, दिनांक 20 मई 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:— (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला —सतना
- (ख) तहसील— उचेहरा
- (ग) नगर / ग्राम — मझोखर
- (घ) क्षेत्रफल— 0.1460 हेक्टर

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
1	2	3	4
1	सुरेन्द्र कुमार पिता रामखेलावन वागरी जाति बागरी पता उचेहरा भुमिस्वामी	37/2	0.0520
2	सुरेन्द्र कुमार पिता रामखेलावन वागरी जाति बागरी पता उचेहरा भुमिस्वामी	39	0.0940
	योग		0.1460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपर्वत्तन परियोजना अंतर्गत नागौद—सतना शाखा नहर की चकहटा माझनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-902—भू—अर्जन—2025

सतना, दिनांक 22 मई 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:— (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला —सतना
- (ख) तहसील— नागौद
- (ग) नगर / ग्राम — बिकरा
- (घ) क्षेत्रफल— 1.4420 हेक्टर

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं०	अर्जित रकवा (हे.में)
1	लक्ष्मीप्रसाद पिता रामस्वरूप ब्रा० सा० देह, अवधेश पिता महेश प्रसाद विश्वकर्मा सा० देह, रेखा पिता रंजीत कोरी सा० कतकोन कला	264/1/1/1/2/1/1/1/1/1	0.0520
2	दादूराम पिता रामस्वरूप ब्रा० सा० देह	264/1/2/1	1.2400
3	संजय कुमार पिता गणेश प्रसाद चतुर्वेदी सा० भैसवार	264/1/1/2	0.0700
	कुल योग—	274/1	0.1000
			1.4420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— उपमुख्य अभियंता (निर्माण—2) पमरे, सतना (म0प्र0) द्वारा सतना—पन्ना नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-903—भू—अर्जन—2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला —सतना
- (ख) तहसील— बिरसिंहपुर
- (ग) नगर / ग्राम — अतसार
- (घ) क्षेत्रफल— 1.5250 हेए

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा हेए में
1	2	3	5
1	सुखलाल तनय भुखना पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी	6/1/3	0.6650
2	श्रीनारायण पिता धीरा जाति ब्रा० पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी	6/3/1	0.0090
3	मोतीलाल रामकुमार सीताराम पिता भूरा जाति काढी पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी	6/4	0.2260
4	जयलाल जयराम दयराम पिता दसूवा मु. सुकवरिया बेवा दसूवा जाति चमार पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी	7/1	0.4620
5	सुखलाल तनय भुखना पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी	7/2	
6	श्री मती सविता पत्नी हरिनारायण जाति ब्रा० पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी	8	0.1610
7	मुकलावती बेवा श्रीधर हरीनारायण कमलेश प्रसाद चंद्रशेखर पिता श्रीधर जाति ब्रा० पता अमिलिया सा० देह भूमिस्वामी	9	0.0020
	योग		1.5250

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद—सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-904—भू—अर्जन—2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:— (म.प्र. शासन / निजी खाता)

- (क) जिला —सतना
- (ख) तहसील— रामपुरबाघेलान
- (ग) नगर / ग्राम — दुबारी कोठार
- (घ) क्षेत्रफल— 2.7460 हेक्टर

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे. में
	2	3	4
1	इन्द्रभान सिंह पिता रामसिया सिंह जाति कुर्मबंशी पता उर्हट हुजूर रीवा भूमिस्वामी	280/2/2	0.1650
2	इन्द्रभान सिंह पिता रामसिया सिंह जाति कुर्मबंशी पता उर्हट हुजूर रीवा भूमिस्वामी	279/2	0.0120
3	हिमांशुल सिंह पिता हस्मिजन सिंह जाति कुर्मबंशी पता अजगरहा हुजूर रीवा भूमिस्वामी	277/1	0.0650
4	गणेश सिंह पिता रामरूप सिंह पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	276	0.0120
5	जगदीश सिंह पिता बंशधारी सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	278/1	0.0520
6	रामनिहोर सिंह पिता बंशधारी सिंह जाति कुर्मी पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	278/2	0.0200
7	जगदीश सिंह पिता बंशधारी सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	266/1	0.0640
8	बाल्मीकि पिता रामहित विश्वकर्मा जाति लोहार पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	267/1/2	0.0040
9	नन्दलाल पिता रामसुन्दर जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	265/1	0.0750
10	छविनाथ सिंह पिता रामसुन्दर सिंह कुर्मी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह	265/2	0.0550
11	तेजसान सिंह पिता भोला सिंह जाति कुर्मबंशी पता खेरिया, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	264	0.1040
12	रामनिहोर सिंह पिता बंशधारी सिंह जाति कुर्मी पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	263/2	0.0620
13	रमागोविन्द सिंह पिता रामनिवास सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	262	0.0610
14	गणेश सिंह पिता रामरूप सिंह जाति कुर्मबंशी पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	261	0.0040

15	रामलखन पिता द्वारिका फूलमती रामवती पारवती पुत्री द्वारिका बेवा द्वारिका रकवा 0.29 डि हि. 1/6 छोटे जवाहर भूरेलाल पिता माहिल 1/15 हि कामता प्रसाद श्यामलाल पिता सूरजदीन सोनार सा शिवपुरवा कीर्तन अमृतलाल पिता झुन्नी मु भगवंती पता बेवा झुन्नी मु भगवंती , केदार नीरज धीरज पिता केदार मु मोलिया बेवा बाबूलाल गिरजा पिता वासुदेव मु यशोदा बेवा कन्छेदीलाल महेन्द्र लक्ष्मण गणेश पिता कन्छेदी शारदा पिता रामरतन जाति सोनार पता सा० देह भूमिस्वामी	254/1/1/1	0.0640
16	श्यामलाल सोनी पिता सूरजदीन सोनी जाति सोनी पता शिवपुरवा,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	254/1/1/1/2	0.0680
17	शंकरलाल सोनी पिता सूरजदीन सोनी जाति सोनी पता शिवपुरवा,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	254/1/1/2	0.0670
18	नीलेन्द्र कुमार सोनी पिता कामता प्रसाद सोनी,अशोक कुमार सोनी पिता कामता प्रसाद सोनी जाति सोनी पता शिवपुरवा,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	254/1/2	0.1360
19	शंकरलाल सोनी पिता सूरजदीन सोनी जाति सोनी पता शिवपुरवा,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	255/2	0.0120
20	रामनरेश गुप्ता पिता श्यामसुन्दर गुप्ता जाति बानी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	247/1/2	0.0020
21	फूलमती सिंह पति रामभान सिंह,विद्यया सिंह पति उदयभान सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	202/1	0.0980
22	महेन्द्र सिंह पिता गोपीलाल सिंह जाति कुर्मी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	203/1/1	0.0160
23	महेन्द्र सिंह,गिरधारी सिंह पिता छोटेलाल सिंह,सुकर्णी देवी सिंह पति छोटेलाल सिंह जाति कुर्म० पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	174/2	0.0820
24	कुर्मकली सिंह पति नन्दलाल सिंह जाति कुर्म० पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	175/1/2	0.1000
25	लालजी पिता लालमन जाति बानी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	175/2	0.1880
26	कुर्मकली सिंह पति नन्दलाल सिंह जाति कुर्म० पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	176/2/2	0.0120
27	रामअवध सिंह पिता रामसजीवन सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	170	0.0320
28	रामखेलावन पिता रामसिया सिंह जाति कुर्मबंशी पता खेरिया कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	177/1	0.0800
29	प्रेमा सिंह पति छविनाथ सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	177/2	0.0940
30	प्यारेलाल सिंह पिता गोपीलाल सिंह जाति कुर्म० रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	164/1/2	0.1620
31	मीना सिंह पुत्री जगदीश सिंह जाति कुर्मबंशी पता खेरिया कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	164/2/1/1	0.0620
32	राम अवध सिंह पिता रामसजीवन सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	162/1	0.1160
33	मीना सिंह पुत्री जगदीश सिंह जाति कुर्मबंशी पता खेरिया कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	163/2/1/1	0.0120
34	अजाद सिंह पिता राम सिंह जाति कुर्मी पता दुबारी कोठार,	55/1	0.0490
35	अंकित सिंह पिता राम सिंह जाति कुर्मी पता दुबारी कोठार,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	55/2	0.0490

36	सुरेन्द्र सिंह पिता भोला सिंह जाति कुर्मवंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	200	0.0250
37	लालमन पिता गुरुदयाल बानी जाति बानी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	199	0.0250
38	प्रेमा सिंह पति छविनाथ सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	178/1	0.0120
39	रजनीश पिता लालजी बानी सा० दुबारी कोठार तह० रामपुर बाघेलान	61/2/1	0.1650
40	पंकज गुप्ता पिता मथुरा प्रसाद गुप्ता जाति बानी पता दुबारी कोठार रामपुर बाघेलान सतना भूमि स्वामी)	61/2/2	0.0600
41	सुमन सिंह वेवा अमरजीत सिंह कुर्मवंशी सा. देह भूमिस्वामी	60/1/1	0.0080
42	रामअवध सिंह पिता रामसजीवन सिंह जाति कुर्मबंशी पता दुबारी कोठार, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी	60/1/2	0.0670
43	सुमन सिंह वेवा अमरजीत सिंह कुर्मवंशी सा. देह भूमिस्वामी	69/1	0.1200
44	कलावती पत्नी जगदीश प्रसाद जयप्रकाश सुभाषचन्द्र पिता जगदीश प्रसाद गुप्ता सा० दुबारी कोठार	61/2/2	0.0080
45	कलावती पत्नी जगदीश प्रसाद जयप्रकाश सुभाषचन्द्र पिता जगदीश प्रसाद गुप्ता सा० दुबारी कोठार	62/2/1	0.0550
	कुल योग रकम है. में-		2.7460

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के दुबारी उन्मूलन माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी हरसूद,
जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश**

प.क्र.—1905—क—वा.—1—भू—अर्जन—2025

हरसूद, दिनांक 23 मई 2025

प्ररूप—“ख”

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक— ००७७ /अ—५९/२०२५—२६ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील— हरसूद, जिला—खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक—०४ से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम— लहाडपुर माल प.ह.न. ०६ तहसील— किलौद जिला— खण्डवा (म.प्र.) मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला— नर्मदापुरम (म०ग्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— ५ सन् २०१३) की धारा— ३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— ३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
१	२	३	४	५
खण्डवा	किलौद	ग्राम— लहाडपुर माल प.ह.न. ०६	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			314/2	0.016
			312/2	0.013
			311/2	0.013
			319/1	0.016
			320	0.009

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हक्केषर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	किल्लौद	ग्राम— लहाडपुर माल पं.ह.न. 06	321	0.008
			323/1/2	0.003
			324/2	0.017
			325	0.015
			326	0.016
			327	0.023
			330	0.005
			328/2	0.014
			367	0.013
			375	0.011
			374/4	0.005
			374/1	0.005
			372	0.012
			369/1	0.003
				0.019
			369/6	0.008
			371	0.010
			369/2	0.020
			योग निजी भूमि	22
खण्डवा	किल्लौद	ग्राम— लहाडपुर माल पं.ह.न. 06	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :—	
			373	0.029
योग शासकीय भूमि			01	0.029
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			23	0.303

पुरुषोत्तम कुमार रा.प्र.से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-247-भू-अर्जन-2025

देवास, दिनांक 21 मई 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में "आई.एस.पी.-पार्वति फेस 3 और 4 सुक्ष्म उद्धन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत सर्ज टैंक कंमाक 1ए और 1बी के निर्माण कार्य हेतु ग्राम मेलपिपल्या तहसील खातेगांव जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की "आई.एस.पी.-पार्वति फेस 3 और 4 सुक्ष्म उद्धन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत सर्ज टैंक कंमाक 1ए और 1बी के निर्माण में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्प्रेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (1) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूचि-1

ग्राम मेलपिपलिया तहसील खातेगांव जिला देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	आई.एस.पी.-पार्वति फेस 3 और 4 सुक्ष्म उद्धन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सर्ज टैंक कंमाक 1ए और 1बी के निर्माण हेतु	0.09	-	0.09

अनुसूचि-2

आई.एस.पी.-पार्वति फेस 3 और 4 सुक्ष्म उद्धन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सर्ज टैंक कंमाक 1ए और 1बी के निर्माण कार्य हेतु ग्राम मेलपिपलिया तहसील खातेगाव जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण।

ग्राम मेलपिपलिया तहसील खातेगांव जिला देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कमल किशोर पिता बिहारी जाति नाई निवासी मेलपिपलिया तहसील खातेगांव	24/2	1.2500	-	1.2500	0.09	0	0.09

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु राज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी कसरावद,
जिला—खरगोन मध्यप्रदेश**

प.क्र.—1354—क—वा.—1—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.—0024—आ—74—2024—25

कसरावद, दिनांक 28 मई 2025

प्ररूप— “घ”

[नियम—6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक—745 / भू—अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उदवहन माईक्रो सिचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.—4 /आर.एम.—3 /आर.एस.एम.—4 एवं जी.एम.—3 /एल.एम.—2 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम— बैगन्दी, प.ह.न.—37 /130, रा.नि.म.—बलकवाड़ा, तहसील— कसरावद, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— बैगन्दी, प.ह.न.— 37 /130,	336/4	0.007
			337/2	0.001
			337/1	0.003
			342/2	0.006
			341/3	0.001
			341/2	0.005
			341/1	0.003
			292	0.002
			291	0.005
			287/3	0.005
			286/1	0.002
कुल योग	11	0.040		

प.क्र.-1351—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.—0025—अ—74—2024—25

प्ररूप— “घ”

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-706 / भू—अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-3/एल.एम.-2 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम— बैगन्दा, प.ह.नं.— 37 / 130, रा.नि.मं.—बलकवाड़ा, तहसील— कसरावद, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— बैगन्दा, प.ह.नं.— 37 / 130,	138/1	0.006
			137/1	0.002
			137/2	0.007
			153/1/1	0.002
			137/3/1	0.007
			137/4/1	0.007
			153/2	0.008
			153/4	0.002
			154/1/1	0.003
			155/1	0.005
			168	0.008
कुल योग			11	0.057

प.क्र.—13517—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.—0026—अ—74—2024—25

प्ररूप—“घ”
[नियम—6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— क्रमांक—700 / भू—अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक— 04 व जी.एम.—04/आर.एम.—03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम— रसवा, प.ह.न.—40 / 133, रा.नि. म.—बलकवाड़ा, तहसील— कसरावद, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— रसवा, प.ह.न. —40 / 133,	363/4	0.002
			364/1	0.003
			365/25	0.004
			365/34	0.004
			365/26	0.003
			365/24	0.003
			365/33	0.003
			365/23	0.003
			392/2	0.001
			396/2	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— रसवा, प.ह.नं. —40 / 133,	407	0.002
			408	0.006
			413	0.008
			417/4	0.008
			500/2	0.009
			318/1	0.003
			316/2	0.006
			287/5	0.003
			287/4	0.005
			212/4	0.002
			267	0.011
			261/2	0.003
			263	0.011
			222	0.006
			232/2	0.013
			223	0.002
			232/1	0.011
			234/2	0.002
			253/1	0.011
			234/1	0.004
250/6	0.001			
कुल योग		31	0.154	

प.क्र.-1389-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0027-आ-74-2024-25

कसरावद, दिनांक 30 मई 2025

प्ररूप— “घ”

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 720 / भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-4 व 5 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- तितरान्या, प.ह.नं.- 20/126, रा.नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— तितरान्या, प.ह.नं.— 20/126,	1/2 2/2 23 21/1 12/4 119/1 130 132 135 126	0.020 0.007 0.002 0.008 0.008 0.005 0.002 0.011 0.013 0.006
कुल योग			10	0.082

प.क्र.-1386-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0028-अ-74-2024-25

प्ररूप- “घ”

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपचारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क्रमांक-715 / भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उदवहन माइको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-01 एवं ग्रेविटी मेन पाईप नहर क्रमांक-02, 03, 04, 05 विछाने के कार्य हेतु ग्राम- डोलानी, प.ह.नं- 34/127, राजिंग-बलकवाड़ा तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिगोपी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपचारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, विछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- डोलानी, प.ह.नं- 34/127,	249/3	0.013 0.006 0.003
			249/6	0.011
			249/2	0.006
			251	0.006
			367	0.017
			363/6	0.002
			363/5	0.006
				0.002
			249/11	0.109 0.018
			382	0.012
			249/12	0.003 0.039
			249/4	0.008
			233/1/2	0.002
			233/1/1	0.003
			40/1	0.005
			40/3	0.003
			84/2/1	0.006
			11	0.003
			40/2	0.004
			22	0.002
			36/3	0.001
			36/2	0.003
			46/2	0.003
			33	0.009
			29	0.005
			31	0.001
		कुल योग	25	0.311

प.क्र.—1375—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.—0029—अ—74—2024—25

कसरावद, दिनांक 28 मई 2025

प्ररूप—“घ”

[नियम—6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक—755 / भू—अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक—03 व जी.एम.—03 / एल.एम.—02 एवं जी.एम.—04 व जी.एम.—04 / आर.एम.—02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम— साईखेड़ा, प.ह.नं.— 39 / 132, रा.नि.मं.—बलकवाड़ा, तहसील— कसरावद, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— साईखेड़ा, प.ह.नं.— 39 / 132,	133/2 133/1 131/6 131/7 113 131/5 131/4 114/4 114/3 114/2	0.013 0.003 0.003 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— साईखेड़ा, प.ह.नं.— 39 / 132,	108/1	0.005
			107	0.005
			62/1	0.007
			62/2	0.005
			62/3	0.006
			62/4	0.008
				0.004
			70	0.038
			92	0.023
			176	0.011
			91	0.020
			178/2	0.010
			190	0.004
			191	0.003
			192	0.018
			195	0.004
			197/3	0.004
			197/2	0.007
			197/1	0.008
			168	0.003
			170/1	0.004
			275/1	0.003
			275/3	0.007
			280/2	0.011
			258	0.006
			240	0.003
			236	0.004
			237	0.004
			231/1/2	0.003
			231/1/1	0.004
			645/15	0.013
			658/9/2	0.007
			645/8	0.002
			658/8	0.001
			652	0.006
				0.010
			804	0.012
			793/1	0.004
			658/7	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली मूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— साईखेड़ा, प.ह.नं.— 39 / 132	738/8	0.005
			743/2	0.001
			743/1	0.005
			741	0.004
			760/1	0.003
			724/5	0.003
			724/3	0.002
			724/2	0.002
			724/1	0.001
			678/1	0.003
			694	0.001
			692/1	0.002
			425	0.002
			692/2	0.002
			692/4	0.003
			420/1	0.001
			549/4	0.005
			547	0.003
			543/3	0.019
			651/15	0.004
			651/16	0.004
			651/17	0.007
			651/18	0.004
			651/19	0.005
			651/20	0.009
			651/21	0.013
			651/25	0.010
			645/14/2	0.001
			645/14/3	0.002
			658/10	0.006
				0.002
			658/9/1	0.008
			749	0.005
			752	0.001
			755	0.002
			756	0.004
			758	0.009
			762	0.007
			764/1	0.005
			794/2	0.014
			794/4	0.006
			794/5	0.002
			814	0.004
			812	0.004
			820/6	0.006
			820/5	0.002
			558	0.019
			560/1	0.003
			555/1	0.046
कुल योग			95	0.626

प.क्र.-1383-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0030-आ-74-2024-25

कसरावद, दिनांक 30 मई 2025

प्ररूप— “घ”

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- कमांक-750 / भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाडा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक- 05 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.-44/137, रा.नि.नं.-बलकवाडा, तहसील-कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं. -44/137,	9/6 9/5 8 7/2 85/1/1 85/3 84 91/2 91/3 91/4 91/5 69/1 144/3/1 159/1 160/1/2 161/2 161/1/2 161/1/3 163/1/1 163/1/2 164/1 177/1	0.002 0.006 0.003 0.006 0.008 0.008 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 0.006 0.006 0.006 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.002 0.004
		कुल योग	22	0.092

प.क्र.-1372-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0031-अ-74-2024-25

कसरावद, दिनांक 28 मई 2025

प्रस्तुप— “घ”

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- कमांक-735 / भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम. -4/आर.एम.-3 एवं जी.एम.-4/आर.एम.-3/आर.एस.एम.-4 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- मिर्जापुर, प.ह.नं.- 41 / 134, रा.नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- मिर्जापुर, प.ह.नं.- 41 / 134,	18/4 18/3/1 18/3/2 19/10 20/8 20/6 20/19 27 26/2 103 104/1 101/1 101/2 149 116/4	0.003 0.005 0.001 0.006 0.003 0.006 0.006 0.002 0.015 0.007 0.017 0.007 0.004 0.007 0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— मिर्जापुर, प.ह.नं.— 41 / 134,	105/1	0.001
				0.003
			106/1	0.008
			116/1	0.001
			116/2	0.003
			116/3	0.002
			150/1	0.004
			150/6	0.006
			150/2/2	0.012
			150/11	0.002
			151/2	0.006
			151/3	0.007
			151/4	0.008
			151/5	0.008
			152/2	0.007
			152/3	0.001
			152/4	0.003
			53	0.008
			97	0.004
			95/1	0.002
			94/1	0.003
			94/4/2	0.001
			94/4/1	0.001
			94/2	0.002
			80/2	0.002
			90/4	0.001
			90/3	0.002
			90/2	0.001
			90/1	0.001
			80/1	0.001
			84	0.001
कुल योग			45	0.204

प.क्र.-1348-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0032-आ-74-2024-25

प्ररूप— “घ”

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-722/ भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर क्रमांक-03 व जी.एम.-03/एल.एम.-02 एवं जी.एम.-03/एल.एम.-04 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-डाबरी, प.ह.न.- 38/131, रा.नि.सं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

॥ अनुसूची ॥

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- डाबरी, प.ह.न.- 38/131,	466/2 466/1/4/1 474/1/1 470/4 470/3 470/2 454/1 453/3 453/2 352	0.001 0.009 0.008 0.003 0.006 0.007 0.006 0.001 0.006 0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— डाबरी, प.ह.नं.— 38 / 131,	358/2	0.004
			363	0.008
			358/1	0.008 0.005
			360	0.016
			347/3	0.002
			347/2	0.006
			347/1	0.006
			346/2	0.005
			346/1	0.005
			305	0.005
			37	0.006
			38/1	0.001
			293	0.005
			307/4	0.002
			307/5	0.007
			306/1	0.005
			295	0.004
			22/2	0.004
			303/4	0.002
			303/3	0.004
			303/2	0.003
			303/1	0.003
			302/1/1	0.001
			38/3/2	0.005
			24	0.002
			28/1	0.002
			31	0.002
			32/1	0.005
			65/3	0.005
			65/1	0.003
			65/8	0.005
			66/2	0.001
			64/3	0.005
			69/1	0.015
			71/1	0.006
			71/2	0.005
			72/3	0.003
			73/2	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली मूलि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— डाबरी, प.ह.नं.— 38 / 131	73/1/2 77/1/1 77/1/3 77/2 77/1/4 77/1/2 76/2 80 364/6 364/4 364/5 365 289/1/1 290 289/5 289/4 288 287 281/1 281/2 279/1 270 269 229/1 406/1/1 406/1/2 414/2 419/1 415/1 416/2 422/2 422/1 425/2 425/1 117 116 115/2 95/1 94/2 91/1 91/2/4 92/3/1 92/4/1 92/5	0.004 0.003 0.001 0.002 0.004 0.004 0.018 0.003 0.006 0.004 0.008 0.001 0.003 0.001 0.012 0.005 0.015 0.006 0.012 0.005 0.001 0.009 0.004 0.011 0.007 0.007 0.007 0.005 0.001 0.005 0.007 0.007 0.010 0.010 0.006 0.002 0.004 0.010 0.003 0.007 0.001 0.008
		कुल योग	92	0.512

प.क्र.-1363-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0033-अ-74-2024-25

प्ररूप— “घ”
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क्रमांक-730 / भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन मार्झको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-4 एवं जी.एम.-4/एल.एम.-6 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- कुण्डया, प.ह.नं.- 42/135, रा.नि.म.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— कुण्डया, प.ह.नं.— 42/135,	2/2	0.017
			6	0.011
			16	0.001
			15	0.008
			14	0.011
			50	0.008
कुल योग			06	0.056

प.क्र.-1360—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.—0034—अ—74—2024—25

प्ररूप—“घ”

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क्रमांक-740/ भू—अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 06.03.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाडा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर जी.एम.—04 /आर.एम.—03 व जी.एम.—04 /एम.एम.—06 विछाने के कार्य हेतु ग्राम— सिनगुन, प.ह.न.—41 /134, रा.नि.मं—बलकवाडा, तहसील— कसरावद, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिग्राही को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, विछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— सिनगुन, प.ह.न.— 41 / 134,	33/4	0.005
			52	0.007
			49/1	0.002
			49/2	0.003
			49/3	0.003
			46/2	0.006
			46/3	0.006
			92/2	0.006
			93/1	0.010
			96/3	0.012
			96/2	0.003
			165/1/2	0.004
			165/2	0.002
			197/1	0.002
			197/2	0.002
			435	0.006
			196	0.003
			434	0.002
			436	0.006
			458/2	0.016
			463/1	0.024
			463/2	0.004
कुल योग			22	0.143

प.क्र.-1369—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.—0035—अ—74—2024—25

प्ररूप—“घ”
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-518 / भू—अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 18.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-3/एल.एम. -4 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम— जोतपुरा, प.ह.नं.- 35 / 128, रा.नि.मं.—बलकवाड़ा, तहसील—कसरावद, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार की अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— जोतपुरा, प.ह.नं.- 35 / 128,	172/1	0.003
			173/1/1/1/1	0.007
			173/1/1/1/2	0.007
			173/1/1/2	0.008
			173/1/2	0.008
कुल योग			05	0.033

प.क्र.-1366—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.—0036—अ—74—2024—25

प्ररूप— “घ”
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 513 / भू—अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 18.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर क्रमांक—03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम— मलतार, प.ह.नं.— 36/129, रा.नि.मं.—01, कसरावद, तहसील— कसरावद, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.03.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम— मलतार, प.ह.नं.— 36 / 129,	372	0.004
			373	0.014
			400/3	0.002
			400/2	0.002
			400/1	0.002
			385	0.003
			395/2	0.005
कुल योग			07	0.032

A

प.क्र.—1378—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.—0037—अ—74—2024—25

प्ररूप— “घ”

[नियम—6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक— 391/भू—अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा—रोडिया उद्वहन मार्झको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक—जी.एम.—02/एल.एम.—11 व जी.एम.—02/एल.एम.—11/एल.एस.एम.—15 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम—डाभा, प.ह.न.—71, रा.नि.म.—मुलठान, तहसील— कसरावद, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 21.02.2025** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम—डाभा, प.ह.न.—71,	214/5	0.004
			214/3	0.011
			212/1	0.008
			203/3	0.008
			203/2	0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम—डासा, प.ह.नं.—71,	203/1	0.007
			188/6	0.013
			188/5	0.003
			188/4	0.004
			188/2	0.006
			188/1	0.005
			188/3	0.004
			189/1	0.002
			150/1	0.010
			151/2/1	0.012
			151/3	0.007
			153/1	0.006
				0.003
			153/2	0.004
				0.001
				0.004
			154/1	0.005
				0.004
			155/1	0.005
			155/2	0.003
			155/3	0.001
			158/1/2	0.006
			159/1/1	0.006
			137	0.004
			134	0.001
			132/1/4	0.004
			132/1/3	0.010
			18	0.006
			19/5	0.001
			41/1/1	0.019
			41/1/2	0.010
			32	0.001
			25/1	0.001
			25/2	0.017
			21	0.006
			20/1	0.004
			19/4	0.003
			19/3	0.005
			19/2	0.001
			19/1	0.001
			17	0.007
			10	0.007
			6/225	0.015
			6/1	0.008
			6/2	0.001
179	0.007			
158/2	0.005			
159/1/2	0.007			
162	0.007			
163/1	0.001			
169/1	0.008			
कुल योग	52	0.326		

सत्येन्द्र बैरवा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. 167—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0001—अ—82—2025—26

इन्दौर, दिनांक 2 जून 2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्णिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामान्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	1.716 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :— इन्दौर
- (ख) तहसील :— सांवर
- (ग) ग्राम :— रंगकराडिया
- (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :— 1.716 हेक्टर

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्ट.)में	धारा—12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	250/1/1/3	0.154		
2	250/3/2/1	0.103		
3	250/3/2/2	0.620		
4	250/3/2/3	0.378		
5	251/6	0.054		
6	251/5	0.400		
7	251/4	0.007		
कुल रकबा		1.716		

अधिनियम की धारा—15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवर के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नवशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 169—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0002—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्ववासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में वर्णित भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	0.229 हेक्टर

—: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :— इन्दौर
- (ख) तहसील :— सांवर
- (ग) ग्राम :— दुमनी
- (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :— 0.229 हेक्टर

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टर में)	धारा—12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	97/1/4	0.023		
2	106/3	0.141		
3	106/2	0.056	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्कर विकास निगम इन्दौर (म.प्र.)	इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
4	106/1	0.009		
कुल रकबा		0.229		

अधिनियम की धारा—15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 171—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0003—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लैन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्व कमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निविट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लैन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाचार निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लैन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	5.089 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :- इन्दौर
- (ख) तहसील :- सांवर
- (ग) ग्राम :- बीबीखेडी
- (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 5.089 हेक्टर

क्र. सं.	सर्वक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टर में)	धारा—12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	166	0.246		
2	230/1	1.183		
3	230/3	0.097		
4	231	0.104		
5	240/1	0.315		
6	240/2/1	0.109		
7	240/2/2	0.075		
8	239/1/1	0.336		
9	239/1/2	0.164		
10	239/2	0.012		
11	238	0.311		
12	233/1	0.236		
13	237	0.439		
14	235/2/2	0.066		
15	236	0.467		
16	220/2/3	0.814		
17	220/2/1	0.003		
18	249/2	0.112		
कुल रकबा		5.089		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्गठक
विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)

इन्दौर—उज्जैन के मध्य
4—लैन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

अधिनियम की धारा—15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साल) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवर के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नवशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 17—भू—आर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0003—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेब्ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि आर्जन पुर्नवासन और पुनर्नवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यावाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विविदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यावाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेब्ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामादात निर्पारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—आर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विश्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	आर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	7.890 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :— इन्दौर
- (ख) तहसील :— सांचेर
- (ग) ग्राम :— चितोड़ा
- (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :— 7.890 हेक्टर

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टर में)	धारा—12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	1/2	0.264		
2	4/1/1/1	0.451		
3	4/2	0.076		
4	4/1/1/2	0.943		
5	4/4	0.545		
6	3/1	0.131		
7	11/1/1	0.152		
8	11/1/2	0.290		
9	14/1	0.909		
10	14/2	0.064		
11	16	0.332		
12	19/1	0.887		
13	19/2	0.458		
14	19/3	0.005		
15	18	0.419		
16	29/10/2	0.007		
17	29/10/3	1.124		
18	29/1/2	0.319		
19	31/2	0.444		
20	30	0.070		
कुल रकबा		7.890		

अधिनियम की धारा—15(1) के अधीन यथा उपबोंधित इस सूचना की तारीख से 60(सात) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकता है। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 175—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0005—आ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्बवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्तिविष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्यय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामादात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	10.619 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

- (1) भूमि का विवरण
 (क) जिला :— इन्दौर
 (ख) तहसील :— सावेर
 (ग) ग्राम :— रतनखेड़ी
 (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :— 10.619 हेक्टर.

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	55	0.039		
2	57	0.515		
3	51/1	0.795		
4	51/2	0.127		
5	50	0.429		
6	45/4/2	0.012		
7	45/4/1	0.035		
8	49	1.093		
9	48	0.430		
10	61	0.203		
11	222/3	0.184		
12	222/2/1	0.011		
13	222/2/2	0.229		
14	221/2	0.162		
15	229/3	0.172		
16	230	0.126		
17	229/2	0.086		
18	334	0.345		
19	333	0.248		
20	330/1/1	0.002		
21	330/1/2	0.010		
22	330/2	0.055		
23	341	0.192		
24	340	0.004		
25	342/2	0.264		
26	332/2	0.016		
27	331	0.057		
28	327	0.127		
29	324/1	0.842		
30	325	0.002		
31	322	0.048		
32	400	0.735		
33	397/1	0.041		
34	401	0.427		
35	402	0.029		
36	403/1	0.360		
37	403/2	0.243		
38	414/2	0.058		
39	417/2	0.476		
40	416	0.454		
41	415/1/2	0.033		
42	418/1/2	0.472		
43	418/2	0.431		
कुल रकबा		10.619		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्गक
विकास निगम इन्डौर(म.प्र.)

इन्डौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नवशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 177—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0006—अ—82—2025—26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड्ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्व क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्ववासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्णदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड्ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाचात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	9.983 हेक्टर

—: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :— इन्दौर
- (ख) तहसील :— सांवर
- (ग) ग्राम :— बलधारा
- (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :— 9.983 हेक्टर

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	23/1	0.231		
2	23/2	0.664		
3	23/4	0.012		
4	23/5	0.291		
5	22/3/1	0.013		
6	22/3/2	0.363		
7	22/4	1.107		
8	22/5	0.748		
9	97/1	0.112		
10	97/2	0.483		
11	20/1	0.132		
12	20/2	0.717		
13	100/3	0.185	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्क विकास निगम इन्डौर (म.प्र.)	इन्डौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
14	99	0.002		
15	115/1	0.082		
16	115/2	0.838		
17	114/2/1	0.296		
18	108	0.541		
19	109/1/1	0.786		
20	109/2/1/1	0.288		
21	109/2/2	0.969		
22	109/3	0.004		
23	110/1/1	0.064		
24	110/2	0.858		
25	106/2	0.197		
कुल रकबा		9.983		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 179—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0007—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्ववासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	14.845 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :— इन्दौर
- (ख) तहसील :— सांवेर
- (ग) ग्राम :— बालरिया
- (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :— 14.845 हेक्ट.

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	76/1	0.456		
2	76/2	0.413		
3	38/5	0.265		
4	77/4	0.287		
5	78/3	0.020		
6	78/1/2	0.586		
7	78/1/3	0.067		
8	78/1/1	0.565		
9	77/3	0.188		
10	77/2	0.014		
11	94	0.035		
12	95	0.408		
13	93/1	0.575		
14	96	0.139		
15	100/1	0.033		
16	100/2	0.185		
17	161/2	0.002		
18	159/1	0.561		
19	159/2	0.494		
20	158	0.707		
21	175/1/1	0.561		
22	175/2/1	0.483		
23	175/2/3	0.005		
24	175/2/4	0.362		
25	175/1/3	0.340		
26	173/1	0.157		
27	174/1	0.222		
28	174/3	0.009		
29	172/1/1	0.081		
30	181/1	0.028		
31	181/2	0.319		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)

इन्दौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हैक्टेर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
32	182	0.558		
33	180/1	0.030		
34	186/1	0.959		
35	184/1	0.162		
36	185/1	0.359		
37	189/2	0.130		
38	190/2	0.315		
39	190/3	0.087		
40	191/2	0.612		
41	193/465	0.040		
42	192/2/2/2	0.030		
43	192/2/2/1/2	0.070		
44	192/2/2/1/1/3	0.177		
45	192/2/2/1/1/2	0.238		
46	192/2/2/1/1/1	0.315		
47	192/2/2/1/1/4	0.294		
48	193/1/1	0.145		
49	193/1/2	0.272		
50	193/2	0.233		
51	194/1	0.158		
52	195/4	0.813		
53	195/3	0.237		
54	192/2/1	0.044		
कुल रकबा		14.845		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 181—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0008—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्तिविद्युत भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अद्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामान्धात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	9.437 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (1) भूमि का विवरण | |
| (क) जिला | :- इन्दौर |
| (ख) तहसील | :- सांवेर |
| (ग) ग्राम | :- रालामण्डल |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 9.437 हेक्ट. |

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मी.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	2/2	0.089		
2	3/1	0.393		
3	3/2	0.347		
4	3/3	0.234		
5	3/4	0.295		
6	3/5	0.403		
7	8/1	0.113		
8	10/1	0.449		
9	10/2	0.171		
10	10/3	0.258		
11	10/4	0.204		
12	12/2	0.296		
13	12/4	0.331		
14	12/9	0.131		
15	12/7	0.321		
16	22	0.120		
17	12/3	0.106		
18	19/6	0.775		
19	19/5	0.102		
20	20/8	0.003		
21	19/7	0.015		
22	19/3/2	0.010		
23	19/3/1	0.151		
24	20/1	0.155		
25	20/2/2	0.223		
26	20/3	0.266		
27	20/4	0.372		
28	20/7	0.216		
29	32/3/1	0.155		
30	32/3/2	0.270		
31	32/3/3	0.270		
32	32/3/4	0.085		
33	31/4/2	0.043		
34	33/1/1	0.304		
35	33/1/2	0.318		
36	33/3	0.042		
37	34	0.139		
38	37	0.782		
39	35/1	0.061		
40	35/2	0.328		
41	229/5	0.073		
42	36	0.018		
कुल रकबा		9.437		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्गक
विकास निगम इन्डौर(म.प्र.)

इन्डौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 183—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0009—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड्ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) से उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड्ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	11.553 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| (क) जिला | — इन्दौर |
| (ख) तहसील | — सांवर |
| (ग) ग्राम | — मगरखेड़ी |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | — 11.553 हेक्टर. |

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	100/2	0.203		
2	92/1	1.002		
3	92/2	0.646		
4	69/1/1	0.225		
5	89/3	0.164		
6	89/2/1	0.132		
7	89/2/2	0.248		
8	89/1	0.576		
9	73/1	0.714		
10	73/4	0.076		
11	73/244	0.083		
12	73/2/1	0.013		
13	67/3	0.304		
14	67/2	0.390		
15	67/1	0.650		
16	68/6	0.021		
17	64/3	0.167		
18	64/2	0.070		
19	68/14	0.144		
20	68/12	0.110		
21	68/11	0.007		
22	68/2/1	0.148		
23	68/2/2	0.028		
24	68/17	0.151		
25	68/8	0.134		
26	68/16/2	0.085		
27	68/15	0.073		
28	68/7/1	0.283		
29	68/7/2	0.142		
30	68/1	0.056		
31	70	0.396		
32	75/1	0.175		
33	75/2	0.269		
34	75/3	0.216		
35	71	0.713		
36	72	0.499		
37	32/1/1/1	0.001		
38	32/1/1/2	0.061		
39	32/1/2	0.165		
40	29/2/1/1	0.123		
41	29/2/1/2	0.188		
42	29/2/2	0.339		
43	3	0.737		
44	1/248/2	0.012		
45	1/2	0.023		
46	2/1	0.591		
कुल रकबा		11.553		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्गठक
विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)

इन्दौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नवशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 185—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0011—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेल्ड हॉल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेल्ड हॉल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :—

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	10.557 हेक्टर

—अनुसूची (2) :—

(1) भूमि का विवरण

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| (क) जिला | :- इन्दौर |
| (ख) तहसील | :- सांवेर |
| (ग) ग्राम | :- कछालिया |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 10.557 हेक्टर |

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	66	0.850		
2	67	0.630		
3	82/1	0.022		
4	83/1	0.155		
5	83/2	0.165		
6	83/3	0.010		
7	84	0.490		
8	85	0.095		
9	86/2	0.128		
10	9	0.010		
11	10	0.455		
12	22/1	0.306		
13	22/2	0.430		
14	23	0.300		
15	27/2	0.240		
16	28/1	0.145		
17	28/2/1	0.325		
18	28/2/2	0.085		
19	28/3	0.110		
20	28/4	0.095		
21	26	0.520		
22	34	0.005		
23	38	0.185		
24	37	0.535		
25	48	0.290		
26	49	0.367		
27	45	0.095		
28	55/4	0.225		
29	55/5	0.190		
30	53/1/2	0.058		
31	53/2	0.278		
32	54/1	0.277		
33	54/2	0.225		
34	56	0.232		
35	57	0.032		
36	844/3	0.550		
37	844/4	0.617		
38	846	0.160		
39	848	0.012		
40	849	0.390		
41	489/1660	0.268		
कुल रकबा		10.557		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्गक
विकास निगम इन्दौर (म.प्र.)

इन्दौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

₹
/-

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साल) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर के समक्ष में आशेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 187—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0013—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन भय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निनवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्ववासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्णिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन भय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामान्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	9.885 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :- इन्दौर
- (ख) तहसील :- सांघेर
- (ग) ग्राम :- हरियाखेड़ी
- (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 9.885 हेक्टर

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकमा (हेक्टर में)	धारा—12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	131	0.023		
2	133/1	1.338		
3	138/1	0.437		
4	138/2	0.044		
5	138/3	0.043		
6	136	0.631		
7	137/1	0.026		
8	135	0.008		
9	134/3	0.976		
10	148/1/1	0.183		
11	148/1/2	0.272		
12	150/1	0.821		
13	150/2	0.218		
14	121/2	0.670		
15	163/2	0.668		
16	121/1	0.498		
17	119/2/2	0.277		
18	166	0.558		
19	117/2/1	0.128		
20	117/2/2	0.570		
21	170/2/2	0.974		
22	130/2	0.522		
कुल रकमा		9.885		

अधिनियम की धारा—15(1) के अधीन यथा उपवधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर के समक्ष में आक्षणों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नवशा (लालान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 189—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0015—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड्ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्व क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नगासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड्ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा दिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	6.532 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :— इन्दौर
- (ख) तहसील :— सांवर
- (ग) ग्राम :— पिपल्या कायस्थ
- (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :— 6.532 हेक्टर

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	14/2/1	0.580		
2	14/2/2	0.237		
3	6/1	0.009		
4	6/4	0.040		
5	6/3	0.130		
6	8/1	0.131		
7	8/2	0.241		
8	9/1/2	0.002		
9	9/1/1	0.001		
10	10/1	0.122		
11	10/2	0.059		
12	12/3/3	0.264		
13	12/3/2	0.069		
14	158/2	0.718		
15	158/3	0.039		
16	157	0.269		
17	159/3/1	0.189		
18	159/5/5	0.492		
19	161	0.334		
20	162	0.599		
21	163	0.102		
22	164	0.113		
23	165	0.196		
24	166	0.020		
25	167	0.416		
26	168	0.129		
27	169	0.294		
28	172	0.031		
29	171/2	0.083		
30	173/1	0.192		
31	173/2/1	0.061		
32	173/2/2	0.053		
33	173/3	0.272		
34	174/1	0.045		
कुल रकबा		6.532		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्कर
विकास निगम इन्डैर(म.प्र.)

इन्दौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपर्युक्त इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 191—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0016—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्तिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अद्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	8.715 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (क) जिला | :- इन्दौर |
| (ख) तहसील | :- सांवेर |
| (ग) ग्राम | :- खतोड़िया |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 8.715 हेक्टर |

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	325/2	0.212		
2	326/1	0.806		
3	326/2/3	0.128		
4	326/2/2	0.001		
5	329/2	0.088		
6	330	0.042		
7	331/1	1.037		
8	331/2/1	0.055		
9	332/2/3	0.001		
10	338/1	0.016		
11	338/2	0.196		
12	346/1	0.129		
13	346/2	0.174		
14	347	0.073		
15	348/1	0.058		
16	348/2	0.052		
17	349/1	0.002		
18	343/1	0.110		
19	354/1	0.295		
20	354/2	0.136		
21	353/1/1	0.715		
22	353/1/2	0.381		
23	353/2	0.234		
24	356	0.375		
25	359/1	0.039		
26	359/2	0.058		
27	359/3	0.035		
28	359/4	0.049		
29	359/5/1	0.056		
30	359/5/2	0.030		
31	360/1	0.107		
32	360/2	0.153		
33	267/2	0.148		
34	361/1	0.148		
35	361/2	0.032		
36	361/3	0.188		
37	361/4	0.052		
38	265/2	0.240		
39	264	0.254		
40	263/1	0.219		
41	263/2	0.300		
42	255	1.291		
कुल रकबा		8.715		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्गक
विकास निगम इन्दौर(म.प्र)

इन्दौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपर्युक्त इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 193—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0017—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्ववासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाचारित निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	6.711 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला
- (ख) तहसील
- (ग) ग्राम
- (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

- :- इन्दौर
- :- सांवेर
- :- पोटलोद
- :- 6.711 हेक्ट.

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	1541	0.227		
2	1542/3/2	0.139		
3	1540/2	0.030		
4	1540/3	0.038		
5	1540/1	0.458		
6	1543	0.382		
7	1546/1	0.122		
8	1546/2	0.139		
9	1546/3	0.161		
10	1547	0.439		
11	1536/1	0.005		
12	1536/2	0.310		
13	1535	0.291		
14	1534	0.286		
15	1533	0.579		
16	1532	0.461		
17	1553/1	0.433		
18	1553/2	0.003		
19	1555/1	0.314		
20	1555/2	0.168		
21	1554/2	0.013		
22	1531	0.067		
23	1523/2	0.020		
24	1523/3	0.922		
25	1527/1/2	0.027		
26	1527/3	0.310		
27	1561/2/1	0.147		
28	1561/2/2/1	0.128		
29	1561/2/2/2	0.092		
कुल रकबा		6.711		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्गक
विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)

इन्दौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांचेर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 195—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0012—अ—82—2025—26

चैंकी राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्व कमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोग के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारवर्षित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्द्धिदृष्टि भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामादात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा भिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	7.158 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| (क) जिला | — इन्दौर |
| (ख) तहसील | — हातोद |
| (ग) ग्राम | — हातोद |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | — 7.158 हेक्टर |

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टर.में)	धारा—12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	698/6	1.463		
2	698/5/1/1	0.013		
3	698/8/1	0.529		
4	698/4	0.010		
5	698/3/2	0.026		
6	698/1/3	0.025		
7	698/9	0.009		
8	698/8/2	0.288		
9	698/1/1	0.052		
10	698/7/1	0.762		
11	698/7/5	0.133		
12	698/2/4	0.123		
13	694/1/3/2	0.805		
14	694/2/1	1.735		
15	694/1/2/1/3	0.018		
16	694/1/3/3	0.444		
17	694/1/3/1	0.259		
18	683	0.464		
कुल रकबा		7.158		

इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण

अधिनियम की धारा—15(1) के अधीन यथा उपर्युक्त इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुभिभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो कोईल किया जा सकता। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुभिभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 197—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0014—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेब्ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुरुवासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी वर्गे उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेब्ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा दिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	7.601 हेक्टर.

—अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :— इन्दौर
- (ख) तहसील :— हातोद
- (ग) ग्राम :— जिन्दाखेड़ा
- (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :— 7.601 हेक्टर.

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	111/2	0.432		
2	110/1/1	0.048		
3	110/1/2	0.198		
4	110/4/1	0.211		
5	110/4/2/1	0.496		
6	110/4/2/2	0.341		
7	110/5/2	0.276		
8	110/6	1.203		
9	113/1/1	0.022		
10	113/2	0.206		
11	120/2/2/2	0.001		
12	120/2/2/1	0.158		
13	120/2/1/3	0.017		
14	120/5/2	0.121		
15	120/5/1	0.276		
16	120/3/1	0.745		
17	120/3/2	0.376		
18	120/4/2	0.002		
19	115/1	0.483		
20	116/1	0.534		
21	116/2	0.292		
22	116/3/1	0.369		
23	116/3/2	0.289		
24	117	0.203		
25	118	0.302		
कुल रकबा		7.801 हेक्ट.		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्क
विकास निगम इन्डौर(म.प्र.)

इन्डौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 199-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0018-अ-82-2025-26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति – इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामादात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	12.025 हेक्टर

-: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला :- इन्दौर

(ख) तहसील :- हातोद

(ग) ग्राम :- बुढानिया

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 12.025 हेक्टर

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे.)	घास-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	5/2	0.131		
2	2/1	1.314		
3	19	0.646		
4	20/1	0.498		
5	20/2/1	0.831		
6	20/2/2	0.420		
7	20/2/5	0.327		
8	20/2/4	0.191		
9	18/1/1	0.209		
10	26/1/1	0.157		
11	27/1	0.436		
12	27/2/1	0.275		
13	27/2/2	0.225		
14	27/2/3	0.448		
15	26/1/2/2/2/1	0.081		
16	26/2	0.081		
17	28/2/2/1	0.273		
18	28/2/2/2	0.293		
19	28/2/2/3	0.766		
20	31/1/1	0.439		
21	31/1/2	0.178		
22	31/1/3	0.239		
23	31/1/4/1/1	0.066		
24	31/1/4/1/2	0.213		
25	31/1/5	0.132		
26	64	0.042		
27	60/1/1	0.024		
28	60/1/2	0.385		
29	58/1	0.027		
30	109/1	0.432		
31	110	0.240		
32	111/1/1	0.075		
33	111/1/2	0.074		
34	205	0.004		
35	190/1	0.009		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)

इन्दौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

क्रं० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
36	190/2	0.010		
37	189	0.058		
38	188/1/2	0.040		
39	188/1/1	0.023		
40	180	0.063		
41	178	0.040		
42	161/1/1	0.052		
43	161/1/2	0.012		
44	161/2/1	0.041		
45	161/2/2/1	0.026		
46	161/2/2/2	0.058		
47	161/3/1	0.121		
48	177/2	0.024		
49	172/1/1	0.096		
50	161/4/3/2	0.147		
51	161/4/3/1/3	0.138		
52	161/4/3/1/2	0.045		
53	161/4/3/1/1	0.069		
54	162/3/1/1	0.192		
55	162/3/1/2	0.050		
56	162/3/1/3	0.039		
57	170/1	0.179		
58	170/3/1	0.019		
59	170/3/2	0.069		
60	170/3/3	0.062		
61	170/3/4	0.051		
62	172/3	0.059		
63	5/1	0.061		
कुल रकबा		12.025		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 201-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0019-अ-82-2025-26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्ह होल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति – इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्रांधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्ह होल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	14.667 हेक्टर

-अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला
- (ख) तहसील
- (ग) ग्राम
- (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

- :- इन्दौर
- :- हातोद
- :- काकरिया बोर्डिया
- :- 14.667 हेक्ट.

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकमा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	122	0.416		
2	123/1/1	0.003		
3	123/2	0.038		
4	121	0.673		
5	120	0.197		
6	119	0.202		
7	118	0.117		
8	117	0.057		
9	116	0.451		
10	131	0.087		
11	114	0.020		
12	112/2	0.045		
13	113	0.318		
14	155	0.129		
15	154/325	0.251		
16	155/326	0.053		
17	155/330, 155/328	0.070	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण
18	154/324	0.024		
19	155/327	0.059		
20	153/2	0.491		
21	154/1	0.187		
22	154/2	0.097		
23	165/1/1	0.426		
24	164/1	0.598		
25	164/2	1.134		
26	166/1	0.604		
27	166/2/2	0.237		
28	166/2/3	0.744		
29	200/1	0.445		
30	199/2/1	0.120		
31	199/2/2	0.010		
32	198/1/1	0.089		
33	198/2	0.179		

क्रं सं	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
34	198/3/1	0.056		
35	196/1	0.083		
36	196/2	0.159		
37	195	0.417		
38	194	0.248		
39	193	0.368		
40	192/1/2	0.005		
41	192/2	0.595		
42	189/1/1	0.096		
43	181/1/2	0.264		
44	181/1/1	0.147		
45	186/3/1	0.168		
46	186/3/2	0.390		
47	186/2	0.639		
48	185/1	0.543		
49	185/2	0.258		
50	184/1	0.531		
51	184/2	0.564		
52	184/3	0.222		
53	184/4	0.010		
54	291/4/2	0.011		
55	294	0.066		
56	296	0.256		
कुल रकबा		14.667		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्क
विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)

इन्दौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपर्युक्त इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 203—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0020—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उद्यित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	16.496 हेक्टर

—अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| (क) जिला | :- इन्दौर |
| (ख) तहसील | :- हातोद |
| (ग) ग्राम | :- सागवाल |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 16.496 हेक्टर |

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टेर में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	10	0.072		
2	9	2.694		
3	6/5/2	0.014		
4	13	0.072		
5	25/2	0.086		
6	24/1	0.150		
7	24/2	0.030		
8	26/1	0.248		
9	26/2/1	0.692		
10	26/2/2	0.483		
11	49/1	0.010		
12	49/2	0.359		
13	48	0.032		
14	45	0.017		
15	46	0.459		
16	47	0.072		
17	41/1/1/1	0.807		
18	41/1/1/2	0.803		
19	41/1/2	0.096		
20	41/1/4/1	0.073		
21	41/4/2/1	0.586		
22	41/2/1	0.890		
23	313	0.797		
24	311/1/2	0.015		
25	311/2	0.040		
26	311/3	0.070		
27	310/2	0.925		
28	310/1/2	0.035		
29	324	0.029		
30	331/2	1.055		
31	337	1.384		
32	359/1	0.018		
33	359/2	0.640		
34	360/2	0.069		
35	360/3	1.293		
36	360/5/1	0.456		
37	360/5/2/1	0.010		
38	361	0.915		
कुल रकबा		16.496		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्गठन
विकास निगम इन्दौर (म.प्र.)

इन्दौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफील्ड पर
निर्माण

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद के समक्ष में आळेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नवशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 205—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0021—अ—82—2025—26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्ववासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति — इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्णिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा—12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन मय पेड़ह शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समान्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

—:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इन्दौर—उज्जैन के मध्य 4—लेन ग्रीनफील्ड पर निर्माण	31.932 हेक्टर

—:अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :— इन्दौर
- (ख) तहसील :— हातोद
- (ग) ग्राम :— जमुर्डी सरवर
- (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :— 31.932 हेक्ट.

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकमा (हेक्टेरोंमें)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	1	0.406		
2	2	5.845		
3	23	1.463		
4	22	1.472		
5	17	1.873		
6	14	3.276		
7	15	0.368		
8	16/2	0.003		
9	13	0.572		
10	10	0.320		
11	12	2.909		
12	251	0.502		
13	252	0.616		
14	253	0.050		
15	292	0.605		
16	293	1.046		
17	294	0.616		
18	295	0.050		
19	383	0.220		
20	384	0.939		
21	386	0.803		
22	387	0.718		
23	385	0.231		
24	389	0.094		
25	426	0.616		
26	425	0.090		
27	424	0.608		
28	417	0.200		
29	422	1.573		
30	420	0.733		
31	463	0.414		
32	462	0.712		
33	469	1.457		
34	2/470	0.050		
35	421	0.001		
36	25	0.200		
37	26	0.007		
38	21	0.274		
कुल रकमा		31.932		

संभागीय प्रबंधक मप्र.सड़क
विकास निगम इन्दौर(मप्र.)

इन्दौर-उज्जैन के मध्य
4-लेन ग्रीनफाईल्ड पर
निर्माण

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपर्युक्त इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुबिभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुबिभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग हातोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-623—अ.वि.अ.—भू—अर्जन—2025

नरसिंहपुर, दिनांक 2 जून 2025

रा.मा.क्र. 0002/अ-82/2024-25 मौजा ग्राम—पिपरहा प.ह.नं.—10/19 न.ब.—334 तहसील—करेली

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये चिनकी बराज निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्ति किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये जल विद्युत गृह की टेलरेस चैनल निर्माण हेतु। |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : करेली |
| 3. ग्राम | : पिपरहा |
| 4. प.ह.न. | : 10/19 |
| 5. न.ब. | : 334 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 6.654 हेक्टेयर |

अनूसूची 2

सं. क्र.	हितबध्द व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा हेकटे
1	2		3	5
1	पेराबाई पत्नी स्व. लच्छू नर्मदीबाई बेवा शिवप्रसाद राकेश बलराम रेखाबाई सविता पिता शिवप्रसाद जाति ढीमर पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33/1 (s)	0.217
2	बबू पिता किशोरी जाति ढीमर पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33/2 (s) 34/3 (s)	0.200
3	मठोले पिता किशोरी पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33/3 (s) 34/4 (s)	0.152
4	करनसिंह पिता किशोरी पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33/4 (s) 34/5 (s)	0.152
5	चरनसिंह पिता किशोरी पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33/5 (s) 34/6 (s)	0.152
6	सुदामा पिता किशोरी पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33/6 (s) 34/7 (s)	1.061
7	पंचम पिता ननकसा जाति ढीमर पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	34/2/2 (s)	1.092
			41/11 (s)	0.040
8	बालकिशन पिता सखाराम जाति ढीमर पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	34/2/1 (s)	0.030
			34/2/3 (s)	0.030
			37/1 (s)	0.130
			41/1 (s)	0.200
9	राजबल पिता दुल्ली जाति भारिया पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/1 (s)	0.545
10	बसंत पिता सत्यपाल भरिया जाति भारिया पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/2 (s)	0.188

सं. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा हेकटे
1	2		3	5
11	मायाबाई वेवा सत्यपाल संतोष बसंत मकुल पिता सत्यपाल जाति भारिया पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी आदर्श गौड नाबालिंग पिता अशोक संरक्षक मामा बसंत पिता सत्यपाल जाति भारिया श्रद्धा गौड नाबालिंग पिता अशोक संरक्षक मामा बसंत पिता सत्यपाल जाति भारिया पता पिपरहा करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/3 (s)	0.718
12	एकाबाई गुडलीबाई गुलाम उर्फ मुलाम पिता मोहन ब्रदीबाई वेवा मोहन भजलीबाई महेश शाकुनबाई संतराम उर्फ संतोष सुकीबाई पिता मोहन जाति भारिया पता करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/4 (s)	0.617
13	रामकली वेवा नर्मदाप्रसाद नेतराम सीताराम पिता नर्मदाप्रसाद मलतीबाई लोधी पुत्री नर्मदाप्रसाद पता घूरपुर करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	21/2 (s) 22/1 (s)	1.130
कुल योग				6.654

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ भोपाल दिनांक—एफ 16—15(7)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू—अर्जन नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा—12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा—11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा—15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक—84, भू—अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-4437-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0080-आ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 30 मई 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीक्षा नहीं कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय पेकड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम गाँसा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अंजित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	घट्टिया	गाँसा	3.993	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सङ्केत विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय पेकड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अंजित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	फिरोज खां पिता मजीदा जाति मुस्लिम पता घट्टिया उज्जैन	381/1/1	0.300	0.030	सिंचित
2	फिरोज खां पिता मजीदा जाति मुस्लिम पता घट्टिया उज्जैन	381/1/3	1.220	0.290	सिंचित
3	युसूफ, आरीफ, बबलू पिता सकूर रुकसाना मुमताज अनीसा पुत्री सकूर जाति पिंजारा पता घट्टिया उज्जैन	380/1	1.200	0.030	सिंचित
4	युसूफ, आरीफ, बबलू पिता सकूर रुकसाना मुमताज अनीसा पुत्री सकूर जाति पिंजारा पता घट्टिया उज्जैन	380/3	0.270	0.190	सिंचित
5	सुरेंद्र गोविन्द यादव पिता सुरेश जाति अहीर पता गाँसा	379/1/1	1.330	0.030	सिंचित
6	जयवंतराव पिता माधोराव जाति मराठा पता गाँसा सोडंग	388/1	0.780	0.050	सिंचित

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	कुल रकवा हेक्ट.में	प्रभावित रकवा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
7	कृष्णराव पिता माधोराव जाति मराठा पता घट्टिया उज्जैन	388/2/1	0.750	0.150	सिंचित
8	चुदेश पिता नारायण राव जाति मराठा पता घट्टिया उज्जैन	390/1	0.360	0.180	सिंचित
9	हेमराज पिता सरदार पता घट्टिया उज्जैन	270/1/1	2.760	0.100	सिंचित
10	हेमराज पिता सरदार पता घट्टिया उज्जैन	270/1/3	1.850	0.850	सिंचित
11	मनोज पिता कुंजीलाल जाति नाई पता घट्टिया	270/2/10/1	0.200	0.030	असिंचित
12	रामचन्द्र पिता शोभाराम जाति कुम्हार पता घट्टिया	259/1	0.670	0.090	असिंचित
13	रतनलाल भूरालाल गोवर्धनलाल नानूराम ग्यारसीलाल पिता बद्रीलाल सोरमबाई बैवा राजाराम नंदकिशोर प्रकाश संजय पिता राजाराम जशोदाबाई बैवा पप्पू जाति माली पता उज्जैन	248	0.940	0.170	सिंचित
14	भगवानदास पिता अमरा जाति कुम्हार पता उज्जैन	247/2/1/1	1.020	0.060	असिंचित
15	भगवानदास पिता अमरा जाति कुम्हार पता उज्जैन	247/2/2	1.200	0.200	व्यावसायिक
16	भगवानदास पिता अमरा जाति कुम्हार पता उज्जैन	247/2/1/3	1.260	0.160	असिंचित
17	अरुणकुमार पिता रामचन्द्र जाति कुम्हार पता घट्टिया	262/1	0.530	0.240	असिंचित
18	अरुणकुमार पिता रामचन्द्र जाति कुम्हार पता घट्टिया	262/3	0.350	0.030	असिंचित
19	रतनलाल भूरालाल नन्दकिशोर प्रकाश गोवर्धनलाल नानूराम संजय पिता राजाराम ग्यारसी लाल पिता बद्रीलाल सोरमबाई जशोदाबाई बैवा पप्पू जाति माली पता गौंसा घट्टिया	261	1.020	0.010	सिंचित
20	हेमराज पिता सरदार जाति गारी पता घट्टिया बद्रीलाल पिता सरदार जाति गारी पता घट्टिया मिठीबाई पुत्री सरदार जाति गारी पता घट्टिया द्रोपती बाई अशोक सुरेश मंजूबाई बैवा हिन्दूसिंह जाति गारी पता घट्टिया	265	0.420	0.170	सिंचित
21	राजेंद्रसिंह बैस पिता विजयसिंह बैस पता 109 ग्राम मंगरोला	389/1/1 /1/1/1	0.450	0.010	व्यावसायिक
22	रॉकी अग्रवाल पिता सत्यनारायण अग्रवाल पता 41 सिंघार्थ नगर इन्दौर	389/1/1 /1/1/2	0.150	0.010	व्यावसायिक
23	योगी महावीरनाथ दत्तक गुरुयोगी पीररामनाथ जी जाति नाथ पता भतरी गुफा मार्ग उज्जैन	389/1/1 /1/2	0.200	0.010	व्यावसायिक

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्टर में	प्रभावित रकबा हेक्टर में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
24	वीरेन्द्रसिंह बैस पिता विजयसिंह जाति राजपूत पता मंगरोला	389/1/1/2	0.300	0.020	व्यावसायिक
25	नारायणराव पिता माधवराम शिंदे जाति मराठा पता गौंसा घटिटया	389/1/2	0.330	0.140	सिंचित
26	सरनाम सिंह पिता बाबू सिंह प्रेम सिंह उमाशंकर सिंह गीताबाई पिता सरनामसिंह जाति राजपूत पता गौंसा घटिटया	373/1	1.090	0.023	सिंचित
27	सरनाम सिंह पिता बाबू सिंह प्रेम सिंह उमाशंकर सिंह गीताबाई पिता सरनामसिंह जाति राजपूत पता गौंसा घटिटया	373/3	0.130	0.080	सिंचित
28	सम्पतबाई बैवा मांगीलाल जाति खटीक पता घटिया	384/1/1	0.100	0.020	सिंचित
29	सम्पतबाई बैवा मांगीलाल जाति खटीक पता घटिया	384/1/3	1.180	0.040	सिंचित
30	कलाबाई पति मेहताबसिंह जाति गारी पता गौंसा , मेहताबसिंह पिता पूरा जाति गारी पता गौंसा	199/1/3	0.040	0.040	सिंचित
31	कांताबाई पति प्रेमचंद्र जाति प्रजापत पता सोडंग	199/2/3	0.180	0.040	व्यावसायिक
32	अभिषेक जैन पिता अशोक जैन जाति जैन पता उज्जैन	199/1/1	0.400	0.020	व्यावसायिक
33	अभिषेक जैन पिता अशोक जैन जाति जैन पता उज्जैन	199/2/1	0.120	0.020	सिंचित
34	मीरा उमा राजू भगवती रायसिंह पिता बद्रीलाल अलका पिता दिलीप जाति माली पता गौंसा घटिया	361/1	0.800	0.020	सिंचित
35	मीरा उमा राजू भगवती रायसिंह पिता बद्रीलाल अलका पिता दिलीप जाति माली पता गौंसा घटिया	361/3	0.580	0.250	सिंचित
36	नरेश सिंह पिता पूजाराम पता घटिया	374/1	0.650	0.020	सिंचित
37	नरेश सिंह पिता पूजाराम पता घटिया	374/3	0.750	0.100	सिंचित
38	नरेश सिंह पिता पूजाराम पता घटिया	374/4	0.050	0.050	सिंचित
39	बलवीर सिंह पिता पूजाराम सिंह पता घटिया	375/1	1.7400	0.010	सिंचित
40	प्रीति पति चेतन जाति जैन पता घटिया हिस्सा 1/4 ,अर्पिता पति अभिषेक जाति जैन पता घटिया हिस्सा 1/4 ,बद्रीलाल पिता मांगीलाल, रंजीत,जीतेंद्र,रीना पिता बद्रीलाल जाति खटीक हिस्सा 1/2 पता घटिया	198/2/1	0.8600	0.010	व्यावसायिक
		योग	3.993		

उज्जैन-सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय पेहङ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घटिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-4438-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0081-अ-82-2024-25

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि सलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के समुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय पेहड़ शॉल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम कालियादेह की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्ववासन और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लंगभग क्षेत्रफल हैं, में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	घट्टिया	कालियादेह	7.278	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सझक विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय पेहड़ शॉल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	निर्भयसिंह पिता रणछोड भवरसिंह पिता रणछोड सुगनबाई बेवा बद्रीलाल पता कालियादेह समान हिस्सा समान भाग 1 / 3	246/2	0.101	0.005	सिंचित
2	निर्भयसिंह पिता रणछोड, भवरसिंह पिता रणछोड, सुगनबाई बेवा बद्रीलाल पता कालियादेह समान हिस्सा समान भाग 1 / 3	246/3	0.101	0.082	सिंचित
3	बबीता पति इकबाल, सईद पिता इकबाल, इसराइल पति इकबाल पता कालियादेह घट्टिया	247	0.031	0.015	सिंचित
4	नूर मोहम्मद पिता एहमद जाति नायता पता कालियादेह	248	0.167	0.025	सिंचित
5	निर्भयसिंह पिता रणछोड जाति आंजना पता कालियादेह घट्टिया, भवरसिंह पिता रणछोड जाति आंजना पता कालियादेह, सुगनबाई बेवा बद्रीलाल जाति आंजना पता कालियादेह हिस्सा समान भाग 1 / 3	249	0.167	0.135	सिंचित
6	आशा बाई पति सिकन्दर जाति नायता पता कालियादेह	250	0.188	0.140	सिंचित

तितरांग ८० रुप

क्र.सं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकवा हेक्ट.में	प्रभावित रकवा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
7	धापूबाई बेवा अम्बाराम ,पदमसिंह पिता अम्बाराम करणसिंह पिता अम्बाराम ,भवरसिंह पिता अम्बाराम कमलसिंह पिता अम्बाराम ,रामेश्वर पिता अम्बाराम पता कालियादेह	251	0.199	0.064	सिंचित
8	निर्भयसिंह पिता रणछोड जाति आंजना पता कालियादेह, भवरसिंह पिता रणछोड जाति आंजना पता कालियादेह, सुगनबाई बेवा बद्रीलाल जाति आंजना पता कालियादेह समान भाग हिस्सा 1/3	268	0.408	0.102	सिंचित
9	मुरली पिता पूरालाल ,तेजूबाई पति पूरालाल, हाकमसिंह पिता पूरालाल, रामूबाई पुत्री पुरालाल जाति आंजना पता कालियादेह	363/2	0.220	0.003	सिंचित
10	अलाबकश पिता दाऊद जाति नायता पता कालियादेह	364/1	0.397	0.314	सिंचित
11	ऐमनाबाई पत्नी अजगर जाति नायता पता कालियादेह	364/2	0.397	0.148	सिंचित
12	अलाबकश पिता दाऊद जाति नायता पता कालियादेह	365	0.846	0.068	सिंचित
13	हेदर पटेल पिता शाकीर जाति नायता पता कालियादेह	368/1	0.500	0.136	सिंचित
14	रुख्सानाबी बेवा जाकीर जाति नायता पता कालियादेह	368/2/1	0.450	0.145	सिंचित
15	शाहरुख ,अरबाज पिता शहजाद जाति नायता पता कालियादेह	368/3	0.212	0.041	सिंचित
16	शाहरुख, अरबाज पिता शहजाद जाति नायता पता कालियादेह	369	0.031	0.031	सिंचित
17	शाहरुख, अरबाज पिता शहजाद जाति नायता पता कालियादेह	370	0.387	0.136	सिंचित
18	शाहरुख, अरबाज पिता शहजाद जाति नायता पता कालियादेह	389/6	0.094	0.041	सिंचित
19	धापूबाई बेवा अम्बाराम ,पदमसिंह पिता अम्बाराम करणसिंह पिता अम्बाराम ,भवरसिंह पिता अम्बाराम कमलसिंह पिता अम्बाराम ,रामेश्वर पिता अम्बाराम जाति आंजना पता कालियादेह	390/2	1.651	0.223	सिंचित
20	धापूबाई बेवा अम्बाराम ,पदमसिंह पिता अम्बाराम करणसिंह पिता अम्बाराम ,भवरसिंह पिता अम्बाराम कमलसिंह पिता अम्बाराम ,रामेश्वर पिता अम्बाराम जाति आंजना पता कालियादेह	393/1	0.094	0.055	सिंचित
21	रतनबाई पति करणसिंह जाति आंजना पता कालियादेह	393/2	0.021	0.003	सिंचित
22	मुरली पिता पूरालाल, तेजूबाई पति पूरालाल हाकमसिंह पिता पूरालाल, रामूबाई पुत्री पुरालाल जाति आंजना पता कालियादेह	393/3	0.021	0.005	सिंचित

क्र.सं.	मूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
23	हातम पटेल पिता लालापटेल जाति नायता अंसार पटैल पिता लाला जाति नायता मुश्ताक पटेल पिता सिंकंदर पटेल जाति नायता पता कालियादेह	394/1	0.481	0.110	सिंचित
24	धापूबाई विधवा अन्धाराम पदमसिंह करणसिंह भंवरसिंह कमलसिंह रामेश्वर पिता अन्धाराम आशाबाई पिता अन्धाराम सीमाबाई पुत्री रुखमाबाई तेजुबाई विधवा नगजी गोवरधनलाल जीवनसिंह पेपुबाई संजुबाई पिता नगजी जाति आजना पता कालियादेह	394/2	0.480	0.270	सिंचित
25	आशाबी पति सिकन्दर मुस्ताक रफिक शाहरुख फिरोज, जायेद नाथा रहीद नाथा, अलादीन नाथा, पुत्रगण सिकन्दर फरीदा, रुक्साना पुत्री सिकन्दर समस्त नाथा स.प.माता आशा बी जाति नायता पता कालियादेह	395/1	0.420	0.089	सिंचित
26	जब्बार पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह	396/1	0.043	0.043	सिंचित
27	जब्बार पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह	397/1/2/1/1	0.105	0.095	सिंचित
28	जब्बार पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह	397/1/2/1/2	0.104	0.086	सिंचित
29	उस्मान पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह	397/1/2/2	0.124	0.047	सिंचित
30	सनवर पटेल पिता शेरमोहम्मद जाति नायता पता कालियादेह	417/2	1.14	0.094	सिंचित
31	फिरोजा पटेल पति सनवर पटेल जाति नायता पता कालियादेह	417/3/1/1/1/2	0.346	0.034	व्यावसायिक
32	बिस्मिल्ला पटेल पति अफसर पटेल जाति नायता पता निवासी कालियादेह	418/3/2	0.909	0.296	सिंचित
33	फिरोजा पटेल पति सनवर पटेल जाति नायता पता कालियादेह	418/3/4	0.697	0.242	सिंचित
34	बिस्मिल्ला पटेल पति अफसर पटेल जाति नायता पता निवासी कालियादेह	418/4	0.689	0.229	सिंचित
35	निर्भयसिंह पिता रणछोड भवरसिंह पिता रणछोड सुगनबाई बेदा बद्रीलाल जाति आजना समान हिस्ता 1/3 पता कालियादेह	421	3.690	0.818	सिंचित
36	मेहमूद पटेल पिता गयूर जाति नायता पता कालियादेह	422/4	0.924	0.596	सिंचित
37	नजमा पति मेहमूद पटेल जाति नायता पता कालियादेह	423/2/3	0.679	0.042	सिंचित
38	फरजाना पटेल पति अफरोज पटेल जाति नायता पता कालियादेह	423/2/6/2	1.385	0.642	सिंचित
39	अफसर पिता अब्बास जाति नायता, रुक्साना पिता अब्बास जाति नायता, रेहाना पिता अब्बास जाति नायता, शेहनाज पिता अब्बास जाति नायता, शबाना पिता अब्बास जाति नायता, याम्मीन पिता अब्बास जाति नायता, हाजराबाई पति एहसान जाति नायता पता कालियादेह	423/2/7	0.836	0.010	सिंचित
40	गोवर्धन पिता मांगीलाल जाति बलाई पता कालियादेह	427/1/1	0.596	0.151	सिंचित
41	कलाबाई उर्फ अनिता बाई पति विक्रम समरथ नाबालिंग पिता विक्रम सरपरस्त माता स्वयं बलाई पता कालियादेह	427/1/2	0.595	0.175	सिंचित
42	अंतर पिता मांगीलाल बलाई पता कालियादेह	427/1/3	0.596	0.219	सिंचित
43	शिवनारायण पिता रामचंद बलाई पता कालियादेह	427/2/1	0.894	0.397	सिंचित
44	अशोक पिता रामचंद बलाई पता कालियादेह	427/2/2	0.894	0.402	सिंचित
45	उस्मान पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह	428/2/1/1/1	0.209	0.008	सिंचित
46	एहमदनूर पिता बक्सु जाति नायता पता कालियादेह	428/2/1/1/2	1.154	0.266	सिंचित
योग					7.278

उज्जैन-सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय ऐवड़ शोल्डर उन्नयन भार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-4513-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0069-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 3 जून 2025

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्बुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय पेक्ड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम सुरासा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अंजित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	घट्टिया	सुरासा	4.415	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय पेक्ड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अंजित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	.शेर मोहम्मद पिता एहमद पटेल जाति नायता निवासी पता कालियादेह (शासकीय पट्टेदार)	5	0.543	0.065	सिंचित
2	.शेर मोहम्मद पिता एहमद पटेल जाति नायता निवासी पता कालियादेह (शासकीय पट्टेदार)	6	1.170	0.105	सिंचित
3	गोपाल पिता मयाराम जाति आंजना पता सुरासा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	7/1/1	1.280	0.015	सिंचित
4	गोपाल पिता मयाराम जाति आंजना पता सुरासा मध्यप्रदेश गूँगी रवाणी	8/1	1.740	0.800	सिंचित
5	हाकप्रसिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता उज्जैन	22	1.850	0.575	सिंचित
6	बहादुर सिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता उज्जैन	23/1	0.658	0.460	सिंचित
7	हाकगरिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता उज्जैन	23/2	0.627	0.240	सिंचित

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रमाणित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
8	बहादुर सिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता उज्जैन	24	0.314	0.012	सिंचित
9	बहादुर सिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता उज्जैन	25	0.314	0.030	सिंचित
10	अमरसिंह पिता दौलतसिंह जाति मीणा पता चक विक्रगादित्य नगर खिलचीपुर उज्जैन	27	0.345	0.060	सिंचित
11	रौनक पिता राजेंद्र यादव जाति यादव निकास चौराहा उज्जैन	28/2/1	1.600	0.444	सिंचित
12	बहादुर सिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता उज्जैन	58/1	1.604	0.015	सिंचित
13	वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन	58/2	1.604	0.700	सिंचित
14	वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन	59/1	0.684	0.059	सिंचित
15	बलराम पिता कन्हैयालाल जाति सोनी पता गणेश मंदिर चौक नयापुरा उज्जैन	60	1.108	0.568	सिंचित
16	वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन मध्य	63/1	0.407	0.122	सिंचित
17	वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन मध्य प्रदेश	63/2	0.136	0.051	सिंचित
18	वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन	69/2/1	0.082	0.034	सिंचित
19	परिषित, अनिकेत पिता जीवन मीणा हिस्सा 1/2 निवासी काजीपुरा 111 अंकपात मार्ग उज्जैन	69/2/2	0.059	0.025	सिंचित
20	वल्लभ डेवलपर्स कृतिक पिता रखबचंद कोचर पता 107 एम आई जी इंद्रानगर उज्जैन	69/2/3	0.059	0.025	सिंचित
21	मोहनलाल पिता भगीरथ यादव निवासी उज्जैन	71	0.491	0.010	सिंचित
योग				4.415	

उज्जैन-सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय पेहड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रौशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-3186—भू—अर्जन—2025

छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 जून 2025

चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा—19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—अनुसूची—

1. भूमि का वर्णन

क्र.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	जुन्नारदेव
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम—सेमरकुही प0ह0न—32 ब.न.—42 रा.नि.म.—दमुआ—1
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा—0.610 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	159/1	0.550
2	159/3	0.060
योग :—		कुल रकबा—0.610 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:— छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम—1 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी, तहसील—जुन्नारदेव, जिला—छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन, उपसंभाग तामिया जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-3187-भू-अर्जन-2025

चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क्र.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	जुन्नारदेव
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- खापासुरजू प0ह0न-32 ब.न.-08 रा.नि.म.-दमुआ-1
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-50.486 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	5/1	01.706
2	5/2	0.448
3	5/3	0.426
4	5/5	0.853
5	5/6	0.405
6	5/4	01.240
7	5/7	0.426
8	5/8	0.427
9	5/9	0.427
10	6	0.520

11	8/4	01.268
12	76/5	0.566
13	8/6	01.268
14	8/8	0.570
15	76/7	0.460
16	11	01.500
17	55/2	0.150
18	57	0.180
19	58/1	01.261
20	75/1	05.000
21	58/2	0.425
22	58/3	01.030
23	58/4	0.405
24	60/1	01.473
25	83/1	0.251
26	60/2	01.453
27	60/3	01.472
28	83/3	0.252
29	60/4/1	01.207
30	83/4	0.252
31	60/4/2	0.265
32	60/5	01.047
33	60/6	01.438
34	83/2	0.092
35	60/7	0.479
36	83/5	0.377
37	62/1/1	01.046

38	62/1/2	0.620
39	62/1/4	0.260
40	62/1/5	0.827
41	62/2	01.234
42	63/1	0.360
43	63/2	0.465
44	63/3	0.914
45	64	02.600
46	67/1	01.385
47	67/2	01.385
48	67/3	01.385
49	67/4	01.385
50	75/2	0.607
51	75/3	01.214
52	76/4	0.160
53	76/3	0.200
54	76/6	0.566
55	76/1	0.565
56	79	0.320
57	81	01.509
58	87	0.090
59	90	0.370
	योग :-	कुल रकमा—50.486 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण से झूब झेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना ग्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevneue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन घंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपरांभाग तामिया जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।